



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

---

CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2012  
(PHALGUNA 9, 1933 SAKA)

---

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 28th February, 2012

**No. 11—HLA of 2012/12.**—The Haryana Registration and Regulation of Societies Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

**Bill No. 11—HLA of 2012**

### THE HARYANA REGISTRATION AND REGULATION OF SOCIETIES BILL, 2012

A

BILL.

*to consolidate the law relating to the registration and regulation of Societies in the State of Haryana, promoting art, fine arts, charity, craft, culture, education, literature, philosophy, political education, religion, sports, science, any public or charitable purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows : —

#### CHAPTER-I

#### PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012.

(2) It shall extend to the State of Haryana.

(3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Short title,  
extent and  
commencement.

## Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
- (i) “Act” means the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012.;
  - (ii) “Bye-laws” means the Bye-laws of a Society ;
  - (iii) “Collegium” means an intermediate body consisting of elected representatives of members of a Society and required to be constituted in cases where the number of members exceeds three hundred;
  - (iv) “defunct Society” means a Society which is not carrying on any business or operation or has not filed its annual or other returns with the District Registrar continuously for a period, as may be prescribed;
  - (v) “due date” means and refers to the date on which the term of a Collegium or Governing Body of a Society expires and by which the elections of the successor body should be completed;
  - (vi) “District” means a revenue district notified by the Revenue Department under the Registration Act, 1908 (XVI of 1908);
  - (vii) “District Registrar” means an officer appointed under section 3 of the Act;
  - (viii) “document” means and includes register of members, books of accounts, returns, annual returns, other statutory registers, summons, notice, requisition, order, other legal processes, whether issued or kept in pursuance of this or any other Act or otherwise;
  - (ix) “elected member” means a member of a Society who is duly elected to the Collegium or as an office-bearer of the Governing Body;
  - (x) “financial year” means the period commencing from the 1st day of the month of April of a year and ending with the 31st day of the month of March of the following year;
  - (xi) “General Body” means the body of all members of a Society;
  - (xii) “Governing Body” means the Executive Committee, Managing Committee or any other committee constituted or elected by the members of the General Body or Collegium, as the case may be, and responsible for the management of day-to-day affairs of the Society;
  - (xiii) “Government” means the Government of the State of Haryana;
  - (xiv) “major” means a person of twenty one years of age or above;
  - (xv) “member” means a person who fulfils the eligibility criteria for becoming a member of a Society, as specified in the Act and has been admitted as a member of the Society in accordance with its Bye-laws;
  - (xvi) “Memorandum” means the Memorandum of Association of a Society as originally framed and as amended, from time to time, in accordance with the provisions of the Act;

- (xvii) "office bearer" means and includes the President, Vice-President, Secretary, Joint Secretary, Manager, Treasurer or any other member of the Governing Body empowered under the Bye-laws to give directions in regard to the conduct of the business of the Society;
- (xviii) "prescribed" means prescribed under the rules;
- (xix) "public notice" means a notice published in at least two newspapers largely circulating in the area, of which one shall be in vernacular and copy of which is also displayed on the notice board of the office of the District Registrar;
- (xx) "Registrar" means the Registrar of Societies appointed under section 3 of the Act;
- (xxa) "Registrar General" means the Registrar General appointed by the Government under section 3 of the Act;
- (xxii) "Rules" means the rules made under the Act;
- (xxiii) "Society" means a Society duly registered or deemed to be registered under the provisions of the Act and includes a State Aided Society;
- (xxiv) "special resolution" means a resolution passed in a meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, in which at least forty per cent of the members entitled to vote are present and the resolution is approved by three-fifth of the members so present and voting.
- (xxv) "State" means the State of Haryana;
- (xxvi) "State Aided Society" means a Society which is in receipt of any recurring grant or financial aid from the Government or a local body or any of its entities to manage its facilities or institutions established in accordance with the objectives set out in its Memorandum or its Bye-laws and shall include a Society where any one or more of its institution is receiving aid;

## CHAPTER II

### OFFICERS OF THE SOCIETY

3. (1) The Government may, by order, appoint a member of Indian Administrative Services as the Registrar General, who shall exercise such powers and perform such duties and functions, as are conferred upon him by or under the Act.

Registrar  
General, other  
officers and their  
powers.

(2) The Registrar General may, by order, appoint a Class-I officer of the Government as Registrar and other officers of the Government not below the rank of Class-II as Additional Registrar or Joint Registrar to assist the Registrar in the discharge of his functions and empower them to exercise such powers and perform such duties and functions, as may be assigned to them, from time to time.

(3) The Registrar General, may further appoint District Registrars not below the rank of Class-II in the Government, to exercise the powers and discharge

such functions and duties, as assigned to them under the Act, in respect of the territorial jurisdiction of one or more districts. He may also appoint certain officers as Deputy District Registrars or Assistant District Registrars not below the rank of Class-II of the Government as per relevant service rules or terms of employment and empower them to exercise such duties and functions, as may be assigned to them, from time to time.

(4) The officers appointed under this section shall exercise powers, discharge duties and perform functions under the overall administrative control and superintendence of the Government.

Registrar General and other officers to be public servants.

4. Every officer exercising or authorized to exercise powers under the Act or the rules made thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

Indemnity for acts done in good faith.

5. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Registrar General or any officer or official subordinate to him or acting under his authority, in respect of anything done by or purporting to have been done by him in good faith under the Act.

### CHAPTER III

#### AIMS AND OBJECTS OF SOCIETY

Aims and objects.

6. Any seven or more persons associated for any of the purposes mentioned hereunder, may, by subscribing their names to a Memorandum and filing the same with the District Registrar, form themselves into a Society. The aims and objects, for which a Society may be formed are,-

- (i) promotion of charity or any philanthropic activity;
- (ii) promotion of arts, education, science, literature, philosophy, religion, industries, skill development, fine arts, etc.;
- (iii) promotion of sports (excluding games of chance);
- (iv) promotion of folk arts;
- (v) promotion of artefacts and handicrafts;
- (vi) instruction and diffusion of any useful knowledge;
- (vii) diffusion of political education;
- (viii) establishment or maintenance of libraries or reading rooms for general public use, or of public museums and galleries of painting and other works of art;
- (ix) promotion of conservation and proper use of natural resources such as land, water, forests and wildlife, and optimal use of infrastructure facilities like roads, power, eco-friendly initiatives and such other resources and infrastructure facilities, as may be notified by the Government, from time to time;
- (x) formation of associations of flats or tenement or condominium or floor space owners pursuant to the requirements as laid down under the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (Act 10 of 1983) or a welfare organization formed for housing projects or a resident welfare organization for the operation, management and

maintenance of facilities for the residents or civic amenities of any defined area;

- (xi) the collection of natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments or designs etc.; and
- (xii) implementation and promotion of any Government sponsored schemes in the State:

Provided that no Society shall be registered under the Act unless it prohibits the payment of any dividend or distribution of any assets, income or profits to its members or their dependents or legal heirs except where a Society has been formed or established by the contributions of share holders or members in the nature of a housing Society or a welfare association of flats or tenement or floor space owners pursuant to the requirements laid down under the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (Act 10 of 1983) or a resident welfare association for the operation, management and maintenance of facilities for the residents or civic amenities of any defined area.

#### CHAPTER IV

#### REGISTRATION OF SOCIETY

7. (1) No Society shall be registered with a name which contravenes the provisions of the Emblems and Names (Prevention of the Improper use) Act, 1950 (Central Act 12 of 1950). Societies not to be registered with undesirable name.

(2) Except with the previous approval of the Government in writing, no Society shall be registered by a name which contains any of the following words, namely: -

- (i) "Co-operative" or "Land Development";
- (ii) "Reserve Bank";
- (iii) "Union" or "State" or "National" or "International" or "Universal" or any word expressing or implying the sanction, approval or patronage of the Central Government or any State Government; and
- (iv) "Municipal" or "Chartered" or any word which suggests or is calculated to suggest connection with any municipality or other local authority.

(3) No Society shall be registered in the State under a name which is identical with or too nearly resembles the name of any other Society or any body corporate which has been previously registered under the Act or incorporated under any other law for the time being in force, as the case may be, except where the Society in existence is in the course of being dissolved and signifies in writing its consent to registration of such name.

Approval of  
name and  
application for  
registration.

8. (1) An application shall be filed in the prescribed proforma for getting approval of the name of the Society in accordance with the prescribed procedure.

(2) After approval of the name, an application for registration of the Society shall be filed with the District Registrar, in whose jurisdiction the registered office of the Society is situated, alongwith the Memorandum and the Bye-laws prepared in accordance with the provisions of the Act and containing all such particulars, as may be prescribed.

(3) The Memorandum shall be signed by at least seven members who shall be major and they shall add their address, description and occupation, if any, in the presence of at least two witnesses who shall also be major and who shall append their signatures and add their address, description and occupation, if any. The Bye-laws shall also be signed by the signatories to the Memorandum.

Registration.

9. (1) After scrutiny of the documents presented before the District Registrar, if he is satisfied that the applicant has complied with all the provisions of the Act and the rules as to registration, he shall enter the particulars of the Society registered, in a register maintained by him in physical or electronic form and issue a certificate of registration in the form and manner, as prescribed.

(2) If the District Registrar refuses to register a Society, he shall state the reasons therefor and communicate the same to the applicants.

(3) Every Society registered by the District Registrar shall be assigned a distinct registration number.

(4) Every existing Society shall apply in the prescribed proforma to the District Registrar for obtaining a new registration number within a period of one year or such further period, as may be notified by the Government. If the new number is not applied within one year then number shall be applied alongwith fee, as may be prescribed, within a period of six months and if the Society fails to move an application for new number within such extended period, the registration may be cancelled.

Evidence of  
registration.

10. (1) A certificate of registration issued by the District Registrar shall be conclusive evidence that the Society therein mentioned is duly registered unless proved otherwise.

(2) Every Society registered under the Act shall prominently display its name alongwith registration number outside its registered office or any other place where it is carrying on its business or operations, and shall have a seal with its name engraved thereon. The Society's name, registration number and its registered office shall be mentioned in all documents executed in its favour or on its behalf.

Registered  
office

11. (1) Every Society shall have a registered office situated at any place in the district in which it is registered, to which all communications and notices shall be addressed.

(2) Information about every change in the address of the Society

shall be given by the Society to the office of the District Registrar within thirty days of its registration or the date of the change, as the case may be, who shall record the same in the certificate of registration and the register of societies.

(3) Any change of the registered office of a Society to a place outside the district in which it is registered, shall be intimated to both the District Registrars.

12. (1) A Society may change its name after getting the proposed new name approved from the District Registrar in the manner prescribed. After approval of name, the person authorised by the Society shall submit an application for change of name alongwith the prescribed fee and a copy of the special resolution to the District Registrar.

Change in the name.

(2) The District Registrar shall register the change in the name of the Society by entering the new name in the register in place of the former one and issue a fresh certificate of registration, comprising the old, as well as the changed name, with necessary alternations embodied therein. The change of name shall be valid only upon issue of such a certificate.

13. (1) If a Society is registered under a name which, in the opinion of the Registrar, is identical with or too nearly resembles the name of any other Society or a body corporate which, having been previously registered or incorporated under the Act or any other law for the time being in force, or being deemed to have been registered under the Act continues to exist, he may, by order made in this behalf direct such Society to change its name and amend its Memorandum within such period as the Registrar may allow.

Change in name on the direction of Registrar.

(2) Where a change in name is directed by the Registrar, the Society which was registered first may be allowed to retain the name and those registered subsequently shall be required to change their names within such period, as may be specified by the Registrar.

(3) A change of name shall not affect the rights and liabilities of the Society or any legal proceedings by or against it.

## CHAPTER V

### MEMBERSHIP

14. A Society shall consist of a minimum seven members at the time of its registration and it may admit persons as founder-members, life-members, ordinary-members, associate-members, tenure-members or honorary members, in accordance with the provisions contained in its Bye-laws. A donation shall not create a right in the donor to be admitted as a member of the Society.

Minimum number of members and types of members.

15. A Society may prescribe different fees for different types of membership in its Bye-laws, alongwith annual subscription fee and the member shall enjoy such type of membership, as long as, he is not in arrears of payment of any such fee or annual subscription for the period, as may be prescribed.

Different fees for different types of members

Eligibility conditions for becoming a member.

16. A person shall be eligible to become a member of Society, if he, --
- (i) is 21 years of age on the date of admission;
  - (ii) subscribes to the aims and objects of the Society;
  - (iii) has deposited the membership fee as prescribed in the Bye-laws of the Society; and
  - (iv) is not an insolvent or of unsound mind or have not been convicted of an offence involving moral turpitude, punishable with imprisonment of one year or more.

Identity Card.

17. Every person admitted as a member shall be issued an identity card by the Society containing the photograph and particulars, as may be prescribed.

Register of Members.

18. (1) Every Society shall maintain a register of its members at its registered office and shall enter therein the particulars of admission or removal of member within fifteen days of the admission or removal or the cessation of any membership, as the case may be, in the prescribed manner.

(2) A copy of the register of members maintained by the Society, if not filed at the time of registration, shall be filed with the District Registrar within sixty days from the date of registration.

(3) The Society shall file an updated list of members, separately showing the inclusions and deletions, if any, every year within a period of sixty days of the close of the financial year in the office of the District Registrar in physical or electronic mode, as may be prescribed.

(4) While filing the updated list of members, the authorised officer of the Society shall certify that such inclusions or deletions are as per the provisions of the Act, rules and the Bye-laws.

Inspection.

19. The register of members shall be kept open at the registered office of the Society and remain accessible to any officer of the office of District Registrar, Registrar, Registrar General or any member of the Society during the business hours.

Rights and obligations of members.

20. (1) Every member shall subscribe to and be bound by the Bye-laws as amended, from time to time and registered with the District Registrar.

(2) Every person admitted as a member on the date of notification of elections, subject to his not being in arrears of membership fees or annual subscription, for a period as may be prescribed, shall have the right to exercise his vote in person.

(3) Every member shall have the right to inspect the books of accounts, books containing the minutes of proceedings of meetings on any working day during business hours after giving reasonable notice.



21. (1) Where any member claims to have been admitted as a member but not included in the register of members or any member is aggrieved with his removal from the membership of the Society, such person may submit a petition to the District Registrar alongwith prescribed fee.

Settlement of  
membership  
disputes

(2) The District Registrar may require such person to support his petition with such documentary or other evidence, as may be considered appropriate.

(3) Upon receipt of any such petition, the District Registrar shall consider the matter and settle the disputes in accordance with the Bye-laws after giving opportunity of hearing to all concerned.

(4) Where the Bye-laws are observed to be silent or lack clarity for addressing the dispute or are inconsistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder, the District Registrar shall decide the matter in accordance with the provisions contained in the Act or the rules made thereunder.

(5) Where the Society has large number of members and it is considered expedient to verify, determine and establish the identity and genuineness of such members, the District Registrar may require all members of the Society to appear before him in person alongwith an acceptable proof of identity and address, as recorded in the register of members, within such time and in such manner, as may be prescribed.

(6) Where action is taken in accordance with sub-section (5) above and certain members do not appear before him in spite of two opportunities granted, the District Registrar shall be competent to strike off the names of such members from the register.

22. A member admitted to a Society shall cease to be so in the following events,---

Cessation of  
membership.

- (i) upon submission and acceptance of his resignation; or
- (ii) if he ceases to fulfil the eligibility condition for being admitted as a member as mentioned under section 16; or
- (iii) upon his failure to pay membership fee or annual subscription fee continuously for a period, as may be prescribed; or
- (iv) upon the death of a member;

Provided that in case of a Society registered for the purposes pursuant to the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (Act 10 of 1983), a housing Society or a resident welfare association registered as a Society for the operation, management and maintenance of facilities for the residents or civic amenities of any defined area, the nominee or the legal heir shall be enrolled as a member subject to fulfillment of qualifications as laid down in the Bye-laws and the provisions of the Act.

Firm barred from  
being member.

23. A partnership firm, whether registered or not, or a body corporate of whatever description, shall not be eligible to be a member of a Society.

Provided that there shall not be any bar for a partner as defined in section 4 of the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932) or a member or share holder of a body corporate to become a member in his individual capacity.

#### CHAPTER VI

#### MEMORANDUM AND BYE-LAWS OF SOCIETY

Memorandum.

24. The Memorandum shall state,-

- (i) the name of the Society;
- (ii) the aims and objects of the Society;
- (iii) the names, addresses and occupations of the members of the first Governing Body to whom the management of its affairs is entrusted under the Bye-laws; and
- (iv) the place and the district in which the registered office of the Society is situated.

Bye-laws.

25. The Bye-laws shall generally conform to the model Bye-laws as prescribed and shall contain provisions in respect of the following matters:-

- (i) identity which includes name and address of the Society;
- (ii) aims and objects of the Society;
- (iii) provisions regulating the membership of the Society i.e. eligibility, admission, kinds of membership, membership fee, subscription fee, resignation, withdrawal and termination etc.;
- (iv) the composition of the General Body, its powers functions, periodicity of its meetings, quorum, period of notice for meetings, manner of voting, record of proceedings etc.;
- (v) principles of formation of electoral colleges, constitution of Collegium, manner and mode of election for a member of the Collegium, resignation, removal, the term of office of the member, powers, functions, procedure and periodicity of holding the meetings of the Collegium, quorum, period of notice for meetings, manner of voting, record of proceedings etc.;
- (vi) composition of Governing Body, the manner and mode of election or appointment, resignation or removal, the term of office of the office bearers, its powers, functions and duties, procedure and periodicity of holding the meetings, quorum, period of notice for meetings and manner of voting, record of proceedings etc.;
- (vii) procedure for amendment in the Bye-laws;

- (viii) procedure regarding amalgamation, division and dissolution:
- (ix) sources of finance including the types of funds to be raised, maintenance of accounts, inspection of accounts and its audit, appointment of auditor, liability of member for discharge of debts etc.;
- (x) provisions regarding the safe custody of the property or assets of the Society, particularly mentioning the manner of keeping or investing any money of the Society; and
- (xi) any other matter relating to the affairs of the Society, as may be required.

26. (1) A Society may, by a special resolution, amend the provisions of its Memorandum with respect to,- Amendment of Memorandum and Bye-laws

- (i) change in the name of Society; or
- (ii) change in the aims and objects of the Society, as permissible under the Act.

(2) A Society may amend its Bye-laws by a special resolution.

(3) Any special resolution passed under sub-section (1) or (2) shall be filed with the District Registrar within thirty days from the date of approval thereof and the District Registrar may, if he is satisfied that the same is in accordance with the provisions of the Act and the rules, register such change. Any such change shall have no effect until it has been so registered.

(4) If the District Registrar refuses to register a change in the Memorandum or the Bye-laws under sub-section (3), he shall communicate the reasons therefor in writing within a period of sixty days of filing of the special resolution by the Society, and the special resolution passed by the Society in that case shall have no effect. If the District Registrar fails to communicate the reasons within sixty days, the special resolution shall be deemed to have been registered by him.

27. (1) Notwithstanding anything contained in the Act or the rules made thereunder, if the Registrar, on a report from the District Registrar or otherwise, considers that an amendment of the Memorandum or Bye-laws is necessary or desirable to bring the same in conformity with the provisions of the Act or rules made thereunder, he may, by an order in writing, direct the Society to make such amendment within such time, as may be specified, in such order. Powers of the Registrar to direct amendment in Memorandum or Bye-laws.

(2) The Governing Body shall place such directions before the General Body or the Collegium, as the case may be, for its consideration and approval within forty five days of the receipt of such directions.

(3) If the Society fails to make any such amendment within specified time, the Registrar, after giving the Society an opportunity to state its objections,

if any, register such amendment to the Memorandum or the Bye-laws, as the case may be, and send a certified copy thereof to the Society. Such amendment to the Memorandum or Bye-laws, as the case may be, shall be final and binding on the Society and its members.

Supply of copy  
of Memorandum  
and Bye-laws

28. Every Society shall, on demand, deliver a copy of its Memorandum and the Bye-laws to a member at the time of admission.

## CHAPTER VII

### GENERAL BODY, COLLEGIUM AND GOVERNING BODY

General Body.

29. (1) The total number of persons admitted as members of a Society in accordance with the provisions of the Act shall constitute its General Body.

(2) Every Society shall prescribe in its Bye-laws the composition of its General Body, its powers, functions and duties, the periodicity of and the quorum for the meetings, the manner of recording of its proceedings and all other matters relating to the affairs of the General Body.

(3) The quorum for the meeting of the General Body shall not be less than forty percent of the total members entitled to vote and present in person subject to a minimum of four members.

(4) Every member shall have one vote and shall cast his vote in person.

Collegium

30. (1) A Society consisting of more than three hundred members, unless it is divided into two or more Societies or opts to re-determine and revise its membership in accordance with clause (ii) of sub-section (1) of section 32 and sub-section (2) of section 51, shall constitute a Collegium consisting of not less than twenty one and not more than three hundred members in accordance with its Bye-laws. The status of a Collegium in this case shall be the same in all respects as that of the General Body of a Society comprising of not more than three hundred members.

(2) The tenure of the Collegium shall not exceed three years and the members elected to the Collegium shall, in turn, elect the Governing Body.

(3) The Society shall file the list of the elected members of the Collegium with the District Registrar within a period of fifteen days of holding the elections for the Collegium in the manner, as prescribed.

Meetings of  
General Body or  
Collegium

31. (1) An annual general meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, may be held as and when required. However, at least one meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, shall be held in every financial year in which the annual accounts of the Society, duly audited, shall be placed before the members for adoption.

(2) A clear notice of fourteen days of every meeting shall be given to the members of the General Body or the Collegium, as the case may be, before the date appointed for the meeting. A copy of such notice alongwith the business to be transacted during the general meeting shall also be endorsed to the District Registrar.

(3) The notice shall specify the date, time, place and the object of the meeting and in case any agenda item requiring a special resolution is proposed to be considered in such meeting, the notice shall contain a copy each of such agenda.

(4) The District Registrar may nominate an officer subordinate to him or an independent observer to be present at such general meeting.

(5) In addition to the annual general meeting, an extra-ordinary meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, may be convened, at any time, after giving due notice to all the members.

(6) The Governing Body shall convene an extra-ordinary meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, within forty-five days of receipt of a written requisition from at least one-tenth of the members of General Body or the Collegium, as the case may be, for convening such a meeting. The notice requisitioning the general meeting shall contain the reasons for such meeting alongwith the proposed agenda.

(7) A clear notice of fourteen days shall be given for the extra-ordinary meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, to all the members specifying therein the date, time, place and the business to be transacted at such meeting. A copy of the notice for an extra-ordinary general meeting shall also be endorsed to the District Registrar, who may nominate an officer subordinate to him or an independent observer to remain present during such meeting.

(8) In case the Governing Body fails to convene a meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, upon such requisition under sub-section (6) above, the District Registrar may, direct the Governing Body to convene such meeting, within such period as directed.

(9) The Governing Body shall furnish a copy of the proceedings of the meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, convened under sub-section (6) above, duly countersigned by the subordinate officer or observer, if deputed for such meeting, to the District Registrar within a period of thirty days. Wherever such subordinate officer or the observer validates the proceedings of the meeting, the District Registrar shall take the same on record.

(10) No extra-ordinary general meeting shall be deemed to have been duly convened, if the members of the General Body or Collegium, as the case may be, have not been given the requisite notice.

32. (1) Where a Society, registered prior to the coming into force of the Act, consists of more than three hundred members, it shall convene a meeting of its members to consider and resolve through a special resolution at least six months before the due date for election of Governing Body,-

Constitution of  
the General  
Body/ Collegium  
of existing  
Societies.

- (i) to continue with the present number of members: or
- (ii) re-determine the number of members of the General Body by prescription of a revised criteria, including membership fee and annual subscription or special additional charges:

Provided that in case the number of members opting for any such revised criterion exceeds three hundred, the membership may be decided by draw of lots.

(2) Where the term of Governing Body is expiring before the expiry of six months from the commencement of the Act, it shall be deemed to have been extended up to six months from the date of commencement of the Act and the Society shall take action according to clause (i) or (ii) above.

(3) Where the membership of a Society exceeds three hundred, the Governing Body shall prepare a scheme of determination of the electoral colleges in accordance with the principles, as may be prescribed, for holding elections to the Collegium and place the same for consideration of its members as a special resolution with consequential amendment to its Bye-laws.

(4) Where a Society resolves to approve a scheme under sub-section (2) above, the Governing Body shall submit the resolution to the District Registrar for his approval.

(5) The District Registrar shall examine the scheme received under sub-section (3) above and .

- (i) approve the same and take it on record, if found to be in accordance with the principles as prescribed ; or
- (ii) suggest such modification, as he may consider necessary, and the Society shall reconsider and revise the scheme accordingly.

(6) Where an existing Society does not have a duly elected Governing Body in position and the affairs of the Society are being managed either through an adhoc body or through an Administrator appointed by the Government in this behalf,-

- (i) such adhoc body or the Administrator shall take steps to hold the elections of the Governing Body, if its membership is within the specified numbers;
- (ii) prepare and submit a scheme for determination of the electoral colleges and constitution of a Collegium or determination of the number of members under sub-section (1) above, to the District Registrar, who shall examine the same and cause a meeting of the members of the Society convened and place the same for consideration of the proposed scheme, with or without any modifications.

(7) Where the members of the Society resolve to approve the scheme prepared under clause (ii) of sub-section (6) above, with or without any modification, the District Registrar shall take the same on record and approve the same. Thereafter, the Bye-laws of the Society shall be deemed to be modified to that extent .

(8) Where it is not found feasible by the adhoc body or the Administrator to convene a meeting of the members or the number of members attending such meeting does not represent the quorum, the adhoc body or the Administrator, as the case may be, shall submit a scheme prepared under clause (ii) of sub-section (6) above, to the District Registrar, who shall forward the same to the Registrar with his recommendations and the Registrar shall approve the scheme with or without any modifications.

(9) The scheme, as approved by the Registrar, shall be notified to the general public through a public notice, at the expense of the Society.

(10) The adhoc body or the Administrator, as the case may be, shall take steps for the constitution of the Collegium in the first instance, to be followed by the election of the Governing Body.

(11) All proceedings under this section shall be conducted in a summary manner.

33. (1) The members of the General Body or the Collegium, as the case may be, shall elect the Governing Body (by whatever name called), consisting of not less than three and not exceeding 21 members. The office-bearers shall comprise of the President, Secretary and Treasurer as a minimum, and other office-bearers, as prescribed under the Bye-laws. Governing Body.

(2) The Society shall file the list of the elected office-bearers with the District Registrar within a period of thirty days of holding of the elections for the Governing Body in the manner, as prescribed.

(3) The tenure of the Governing Body shall not exceed three years. The matters pertaining to re-election of any office-bearer shall be regulated in accordance with the Bye-laws.

(4) Every Society shall maintain a register showing the names, addresses and occupation of the persons appointed or elected as office-bearers and shall file with the District Registrar, -

- (i) a copy of the register within a period of thirty days from the date of appointment or election of the office-bearers;
- (ii) a notice of every change in the office-bearer within a period of thirty days, from the date of such change; and
- (iii) the details of the office-bearers alongwith the annual return in the manner, as prescribed under the rules.

(5) The constitution of the Governing Body, appointed or elected for the first time or thereafter, shall be valid only upon approval thereof by the District Registrar and its tenure shall commence from the date of its approval.

34. (1) The Bye-laws shall contain provisions for its office-bearers, namely, the President, Vice-President, Secretary, Joint Secretary, Treasurer etc. and specify Office-bearers,  
their powers,  
functions and  
duties.

their powers, functions and duties, singly or jointly with other members of the Governing Body.

(2) The office-bearers shall exercise their powers strictly in accordance with the provisions contained in the Bye-laws and any powers exercised in excess of the authorisation under the Bye-laws shall render such decisions non-est.

Disqualification  
of office bearer.

35. A person shall be disqualified from continuing as an office-bearer as soon as he ceases to be a member of the Society.

Meetings of  
Governing Body.

36. (1) Meetings of the Governing Body may be held as and when required. However, the Governing Body shall meet once every quarter and hold at least four meetings in a financial year.

(2) A clear notice of three days of every such meeting shall be given by the Secretary of the Governing Body to the office bearers before the date appointed for the meeting. However, the Governing Body may meet at shorter notice, wherever so required, with the consent of at least fifty percent of its members.

Record of  
proceedings of  
meetings of  
General Body or  
Collegium and  
the Governing  
Body

37. (1) The Society shall maintain record of the minutes of proceedings of every meeting of the General Body or Collegium, as the case may be, and every meeting of its Governing Body in the proceedings books separately maintained for this purpose. Such minutes shall be signed by the Chairman and the Secretary of the meeting.

(2) In case the minutes of the meeting are not signed by the Chairman for any reasons, whatsoever, the Governing Body may authorize any of the office-bearer to sign such minutes.

(3) The minutes of every meeting of the Governing Body or the General Body or Collegium, as the case may be, shall be placed for confirmation in the succeeding meeting of such body.

(4) Any resolution passed by the Governing Body or the General Body or Collegium, as the case may be, during any of its meetings, which is not consistent with the provisions of the Act or the rules framed thereunder or the Bye-laws, shall be invalid.

(5) No act or proceedings of a Society or any of its office bearer shall be deemed to be invalid merely on the ground of any vacancy or defect in the organisation of the Society

Notice to  
accompany  
copies of  
balance sheet  
and auditor's  
report etc.

38. Every Society shall supply a copy of the balance-sheet or a statement of accounts together with the auditor's report to every member of the General Body or the Collegium, as the case may be, alongwith the notice of the annual general meeting, unless these documents have been placed on the website of the Society.



**CHAPTER VIII**  
**ELECTIONS**

39. (1) Elections shall be first held for the constitution of the Collegium from within the electoral colleges determined therefor, wherever applicable, and thereafter for the Governing Body by the Collegium.

Elections and  
settlement of  
disputes.

(2) The process of elections of the Collegium of a Society shall be commenced, in so far as possible, three months prior to the due date so that the newly elected Governing Body is in place on or before the due date.

(3) On the day the elections of a Society are notified, the Governing Body or the adhoc body or the Administrator, as the case may be, shall publish the list of members entitled to vote. Such list of members shall be made available to a member on demand, on payment of such fee, as may be prescribed by the Society in its Bye-laws.

(4) Any person or group of persons, if aggrieved with the list of members published under sub-section (3) above on account of non-inclusion or wrongful inclusion of any member, may file a petition with the District Registrar stating the specific grounds of challenge within a period of fifteen days of publication of the list of members. The District Registrar may, where the number of members is very large and for reasons to be recorded, accept the petition within an extended period of seven days.

(5) The District Registrar may, if he has reasons to suspect the bonafides of any such petition, require the petitioners to deposit such amount, as prescribed, as a surety against any abuse of sub-section (4) above. The amount deposited by the petitioners shall be refunded forthwith if the petition succeeds but shall be liable to be forfeited, if such petition is found to have been made without any merits.

(6) Where a petition is filed before the District Registrar under sub-section (4) above, the District Registrar shall, after fulfillment of the condition specified under sub-section (5), immediately hold the election process in abeyance and proceed to conduct an inquiry by himself or by an officer appointed by him, in this behalf, for determining the list of eligible members.

(7) The District Registrar may, for the purpose of his inquiry, refer to the annual return of members filed by the Governing Body in his office and consult any or all the relevant records of the Society. The District Registrar shall enjoy all the powers vested in him under Chapter XII of the Act for holding the inquiry. Any such inquiry shall be conducted in the open and completed in a summary manner.

(8) Upon completion of the inquiry under sub-section (6) above, the District Registrar shall determine the list of members eligible to vote, make it public and set the process of election in motion. Where the initial list of members published under sub-section (3) above is found to be defective during the inquiry, the election

of the Collegium or the Governing Body, as the case may be, shall be conducted by the District Registrar under his direct supervision and control after settling the dispute as per the provisions of the Act.

(9) Where elections of the Governing Body are held by the members of the General Body, without requirement of a Collegium, any challenge to the list of members of the General Body shall be settled by the District Registrar in the same manner, as specified above.

(10) Where the elections of the Governing Body are not held by the due date, for whatsoever reasons, the District Registrar may constitute an adhoc Committee or appoint an Administrator to manage the affairs of the Society, immediately upon the expiry of the due date, for the intervening period and for conducting the elections of the Governing Body.

(11) A Society may approach the District Registrar for appointment of the returning officer and/or an observer for conducting the elections of the Collegium or the Governing Body, as the case may be, whereupon the District Registrar shall order the appointment of the returning officer and/or an observer within seven working days of the receipt of such request from the Governing Body or the adhoc Committee or the Administrator, as the case may be.

(12) The returning officer appointed by the District Registrar shall ensure a minimum notice of fifteen days to all the members, served individually where possible, or through a public notice, at the expense of the Society, for the information of the members.

(13) The returning officer and/or the observer, wherever appointed, shall complete the process of elections, and submit a report thereof to the District Registrar, whereupon the duly elected Governing Body shall be placed in charge of the affairs of the Society and the appointment of any adhoc Committee or the Administrator shall cease to continue forthwith.

(14) The District Registrar may fix the remuneration or honorarium for the person appointed as the Administrator, the returning officer, the observer or member of adhoc Committee in the manner and at the rates prescribed from time to time.

Settlement of disputes arising from election of Collegium or Governing Body and its office-bearers.

40. (1) The Registrar, on a reference made to him by the District Registrar or by at least one-fourth of the members of the General Body or the Collegium, as the case may be, hear and decide in a summary manner any doubt or dispute in respect of the election or continuance in office of any elected member or office bearer to the Collegium or Governing Body, as the case may be, and may pass such orders in respect thereof, as he deems appropriate:

Provided that the election of any or all the members of the Collegium or the office-bearers of the Governing Body shall be set aside where the Registrar is satisfied,---

- (i) that any corrupt practice has been committed by such office-bearer (s); or

- (ii) that the nomination of any candidate has been improperly rejected; or
- (iii) that the result of the election, in so far as it concerns such office-bearer, has been materially affected by the improper acceptance of any nomination or by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void or does not comply with the provisions of any Bye-law.

**Explanation I.**— A person shall be deemed to have committed a corrupt practice who, directly or indirectly, by himself or through any other person—

- (i) induces or attempts to induce, by fraud, intentional misrepresentation, coercion or threat of injury to any elector to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate, or any person to stand or not to stand as, or to withdraw or not to withdraw from being a candidate at the election;
- (ii) with a view to inducing any elector to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate, or to induce any person to stand or not to stand as, or to withdraw or not to withdraw from being a candidate at the election, offers or gives any money, or valuable consideration, or any place or employment, or holds out any promise of individual advantage or profit to any person;
- (iii) abets the doing of any of the acts specified in clauses (i) and (ii);
- (iv) induces or attempts to induce a candidate or elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure;
- (v) canvasses on grounds of caste, community, sect or religion;
- (vi) commits such other practice as the Government may prescribe to be a corrupt practice.

**Explanation II.**—A promise of individual advantage or profit to a person includes a promise for the benefit of the person himself, or for anyone in whom he is interested.

(2) The Government may, prescribe the procedure for hearing and deciding of doubts or disputes in respect of such elections and make provision in respect of any other matter relating to such elections, for which insufficient provision exists in the Act or in the rules framed thereunder.

(3) Where by an order made under sub-section (1), an election to the Collegium or the Governing Body is set aside or an office-bearer is held no longer entitled to continue in office or where the Registrar is satisfied that any election of office-bearer of a Society has not been held within the time and in accordance with the Bye-laws, he may cause a meeting of the General Body or Collegium, as the case may be, convened for electing such office-bearer or office-bearers, and such meeting shall be presided over and conducted by the District Registrar or by any officer authorized by the Registrar in this behalf, and the provisions of the Bye-laws relating to meetings and elections shall apply to such meeting and election with necessary modifications.

(4) Where a meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, is convened on the orders of the Registrar under sub-section (3), no other meeting shall be called for the purpose of election by any other authority or by any person claiming to be an office-bearer of the Society.

## CHAPTER IX

### PROPERTY AND FUNDS OF THE SOCIETIES

Acquisition of movable and immovable property.

41. A Society registered under the Act may acquire movable or immovable property, on free-hold or lease basis, from out of its funds or donations or grants or loans obtained from legal sources in accordance with its Bye-laws in its name.

Property how vested.

42. All property, movable and immovable, belonging to a Society, whether acquired before or after its registration, if not vested in the trustees, shall vest in the Society, and any such property may be referred to as the property of such Society in any legal proceedings:

Provided that in case a Society is registered for the purposes of the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (Act 10 of 1983), a housing Society or a resident welfare association registered as a Society for the operation, management and maintenance of facilities for the residents or civic amenities of any defined area, the property may vest in the members or their successor-in-interest who have contributed for acquisition of such property.

Terms of gift.

43. Where a Society accepts a gift or donation of money or property of any other kind from any person or institution for a specific purpose, it shall use the money or such property gifted or donated or any part thereof only for the purpose for which it has been so gifted or donated and for no other purpose.

Restrictions on the sale or transfer of immovable property.

44. (1) A Society registered under the Act shall be competent to sell, transfer or alienate any of its immovable properties subject to the following: -

- (a) in case the immovable property is acquired from the Government or any of its instrumentalities or a municipal body or gram panchayat or any other such authority, with the prior written permission of the Government;
- (b) in case the immovable property is acquired by means of a conditional gift or conditional donation from any source, in

accordance with such conditions subject to the prior permission of donor or his authorised representative, and in case the donor is not alive and has left no such authorised representative, with the prior permission of the Registrar;

- (c) any other immovable property acquired by the Society from out of its own resources or funds or borrowings, with the prior permission of the General Body or the Collegium, as the case may be, through a special resolution.

(2) The Governing Body shall determine the reserve price of any such immovable asset, which shall not be less than the applicable Collector rates, before its disposal, so as to ensure that it is not sold or transferred at an undervalued consideration.

(3) The proceeds from the transfer or sale of any immovable property of the Society, wherever conducted in accordance with the provisions contained in this section, shall be immediately deposited in the account of the Society.

(4) Where any office bearer of the Governing Body indulge in violation of the provisions contained in sub-sections (1), (2) and (3) above, the District Registrar shall be competent to take any or all of the following actions,-

- (i) where the amount of consideration is not deposited in the account of the Society within three working days, direct such office bearer to pay interest out of his own pocket at the rate of twenty four percent for the period it remained in his possession but such period shall in no case be more than thirty days;
- (ii) where the immovable asset has been sold or transferred at an undervalued price, recover the difference assessed on the basis of Collector rates from the erring office bearer and deposit the same in the Society's account;
- (iii) where the immovable asset has been disposed of without the permission as required under sub-section (1) or without complying with the conditions applicable, recover the amount, alongwith any additional amount as assessed on the basis of Collector rates, from the concerned office bearer and deposit the same with the allotting authority;

(5) Where the recovery of any amount is involved from any person in the course of enforcement of sub-section (4) above, and the persons concerned do not deposit the said amount within the period allowed, the District Registrar shall be competent to recover such amount as arrears of land revenue.

(6) In addition to the action under sub-sections (4) and (5) above and depending upon the gravity of the violation, the District Registrar may also recommend to the Registrar for,—

- (i) removal of any erring person from the office and debarring such person from holding any position in future or removal from membership of the Society ;
- (ii) super-session of the Governing Body and appointment of an Administrator for managing the affairs of the Society; and
- (iii) registration of an FIR.

(7) The Registrar shall take appropriate action on the recommendations of the District Registrar within a period of fifteen working days of the receipt of information.

(8) Nothing under this section shall absolve the office-bearer from criminal action.

Investment of Funds.

45. Every Society, to such extent, and under such conditions, as may be permitted under its Bye-laws, from time to time, invest or deposit any portion of its funds not immediately required,-

- (i) in immovable properties; or
- (ii) in securities of the Government or in National Savings Certificates or other securities of the Government of India;
- (iii) in the Post Office Savings Banks Account; or
- (iv) in a special account opened by the Society for the purpose in a -
  - (a) Scheduled Bank as authorized or notified by the Reserve Bank of India; or
  - (b) Cooperative Bank situated in the State, or in such other mode of investment, as may be prescribed.

Application of funds.

46. (1) A Society shall have the powers to spend such sums out of its funds, as it thinks fit, for the purposes authorised under its Bye-laws or by the Act.

(2) No payment shall be made out of the funds to the President, Vice-President, Secretary, Treasurer or any other office bearer by way of honorarium or remuneration :

Provided that incurring of any expenditure on the Boarding/ Lodging and TA/DA of the office bearers while on tour in connection with the affairs of the Society, shall be permissible following the prudent financial norms.

(3) Notwithstanding the restrictions prescribed above, a Society may pay such remuneration, salary or honorarium to the persons in its full-time or part-time employment, as it may determine:

Provided that no member shall be in the employment of the Society.

**CHAPTER X**

**ACCOUNTS, AUDIT, FILING OF DOCUMENTS**

**47. (1)** Every Society shall keep proper books of accounts i.e. cash book, ledger etc. as required by Income Tax laws or the books as per standards laid down by the Institute of Chartered Accountants, at its head office or as may be prescribed with respect to,- Books of Accounts.

- (i) all sums of money received and expended by the Society; and
- (ii) the assets and liabilities of the Society.

(2) The books of accounts shall be open to inspection during the business hours by the Registrar General, Registrar, District Registrar or any officer authorised by them.

**48. (1)** Every Society shall get its annual accounts audited from an auditor who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India, constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act 38 of 1949). Audit.

(2) The auditor shall not be a member of the Governing Body or family member of any of the office bearer.

**49.** The accounts, returns and registers shall be verified and signed by at least two office-bearers, authorised by the Governing Body. Verification of accounts.

**50. (1)** Every Society shall file the following returns, in the prescribed form, with the District Registrar within thirty days of holding the annual general meeting,- Annual and other returns.

- (i) a list of the members duly certified by the President and the Secretary, as on the 31st March of the year, separately showing the deletions and additions during the previous year;
- (ii) a list of the members of the Collegium duly certified by the President and the Secretary, alongwith the list of electoral colleges as on the 31st March of the year, separately showing the deletions and additions during the previous year;
- (iii) a list of the office-bearers alongwith their names, addresses and occupations separately showing the deletions and additions during the previous year, if any;
- (iv) an annual report on the working of the Society by the Governing Body duly certified by the President and Secretary;
- (v) a copy each of the balance-sheet, receipt expenditure statement and the auditor's report duly certified by the auditor; and

(vi) a copy of the special resolution, as and when passed.

(2) Non-filing of annual returns as mentioned above shall be punishable with fine in the extended period and thereafter with penalty as may be prescribed.

## CHAPTER XI

### AMALAGAMATION AND DIVISION

Amalgamation or  
division of  
Societies

51. (1) Any two or more Societies, after passing special resolutions for amalgamating with each other, shall move an application alongwith copies of resolutions, in the prescribed form for obtaining approval of the Registrar and after getting the approval, shall amalgamate together as one Society.

(2) Any Society, after passing special resolution for division of a Society, shall move an application in the prescribed form alongwith copy of resolution, for obtaining approval of the Registrar and after getting the approval, shall stand divided. The resolution shall contain proposals for the division of the assets and liabilities of the Society among the new Societies, relationship of the parent Society with the divided societies, if any, and may specify the areas of operation of and the members who may constitute each of the new Societies:

Provided that before division, the Society shall settle all the claims and liabilities or divide the assets and liabilities amongst the Societies on prorata basis.

(3) No amalgamation or division of a Society under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, shall have any effect until and unless the new Society or Societies is/ are duly registered.

(4) Upon the registration of the new amalgamated Society or the divided Societies, as the case may be, the assets and liabilities of the original registered Society or Societies shall, subject to the provisions of this section, be transferred to and become the assets and liabilities of the new Society or Societies in the manner specified in the special resolution.

## CHAPTER XII

### INQUIRY AND SUPERSESSION OF THE GOVERNING BODY

Powers to call for  
information or  
explanation

52. (1) The Registrar General, Registrar or District Registrar may, by written order, require any Society to furnish in writing such information or document or explanation as prescribed in the order within such time, not being less than two weeks from the date of receipt of such order.

(2) On receipt of the order, it shall be the duty of the Society to furnish such information or documents or explanation.

Powers to seize  
records etc.

53. (1) Where the Registrar General, Registrar or District Registrar is satisfied that.--



- (i) the records, registers or the books of accounts are likely to be tampered with or destroyed and the funds and the property are likely to be misappropriated or misapplied; or
- (ii) the Governing Body is reconstituted at a general meeting and the outgoing members of the Governing Body refused, to hand-over charge of the records and property of the Society to those entitled to receive such charge; or
- (iii) the office bearer, where the elections of the Governing Body have not been held by the due date, are likely to misuse such documents, funds, records or are reluctant to hand over the records to an adhoc Committee or the Administrator appointed for managing the affairs of the Society as an interim measure, he may issue an order directing a person duly authorised by him in writing to seize and take possession of such document, funds, records and property whereupon the office bearer responsible for custody of such documents, record, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorised.

(2) In order to secure compliance of the order under sub-section (1), the District Registrar may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used such minimum force, including police force, as may be considered necessary.

54. (1) Where on the information received or gathered under section 52 or on the application of a majority of the office bearers or on the application of not less than one-third of the members of the General Body or Collegium, as the case may be, or, if so moved by the District Collector or the State Government, the Registrar General, Registrar or District registrar is of opinion that there is apprehension that the affairs of a Society are being so conducted as to defeat the aims and objects of the Society or its Governing Body is guilty of mismanaging its affairs or of any breach of fiduciary or other like obligations or to defraud its creditors, he may, either himself or by any person authorized by him in that behalf, hold an inquiry into the affairs of the Society.

Power to inquire.

(2) An application or reference to the Registrar General, Registrar or District Registrar under sub-section (1) shall be supported by such evidence, as he may require for the purpose of showing that the applicant has good reason for applying for an inquiry.

(3) The District Registrar may require the applicants to furnish such security as he thinks fit as the cost of the proposed inquiry, before the inquiry is ordered.

(4) All expenses incidental or preliminary to the inquiry shall, where such inquiry is held,—

- (a) on application, be defrayed by the applicants thereof or out of the assets of the Society or by the members of the Society,

in such proportion as the District Registrar may, by order in writing direct; and

- (b) on a reference from the District Collector or the Government or the District Registrar's, own motion, be defrayed out of the assets of the Society and shall be recoverable as arrears of land revenue.

(5) A person holding an inquiry shall have, at all reasonable times, free access to all the documents and shall have power to call upon any office bearer or officer to produce any of the document, as he may direct.

(6) It shall be the duty of all office bearers or officers, who were or are holding office, to furnish the Inquiry Officer with all the information or document in their possession.

(7) A person holding an inquiry may summon and examine any person on oath who, he has reason to believe, has knowledge of any affairs of the Society and may summon any person to produce any books of accounts or documents belonging to him or in his custody, if the person holding the inquiry has reason to believe that such books of accounts or documents contain any entries relating to transactions of the Society.

(8) A person holding an inquiry may, if in his opinion it is necessary for the purpose of inquiry, seize any or all the documents:

Provided that any person from whose custody such documents are seized shall be entitled to a receipt thereof and make copies thereof.

(9) If the inquiry is held by a person other than the District Registrar then he shall send the report to the District Registrar and the District Registrar shall make a report to the Registrar alongwith his recommendations. If the inquiry is held by the District Registrar himself, he shall forward the report to the Registrar alongwith his recommendations.

(10) The inquiry report shall be communicated to the Society and the applicants, if any.

Action on  
Inquiry report.

55. The Registrar shall consider the inquiry report alongwith the recommendations of the District Registrar, if any, and take any of the following steps,—

- (i) where no irregularities, whatsoever, of procedural or material nature, are found to have been committed by the Governing Body, he shall order closure of the inquiry alongwith information thereof to the Society and complainants, if any; or
- (ii) where the irregularities or violations committed by the Society are found to be of procedural nature, which are rectifiable, he shall direct the Society to take recourse to such corrective measures within such time, as he may direct:

Provided that where a Society fails to carry out the directions, the Registrar shall forward the matter to the Registrar General alongwith his recommendations for appropriate action against the Society; or

- (iii) where the irregularities or violations committed by the Society are found to be of a serious or material nature (e.g. relating to memberships, financial mis-management or financial irregularities or fraud or subversion of the objects of the Society), the Registrar shall forward the matter to the Registrar General alongwith his recommendations for appropriate action against the Society; or
- (iv) pass any other appropriate order to meet the ends of justice.

56. (1) On receipt of report or recommendations of the Registrar, if the Registrar General is of the opinion that a case is made out for supersession of the Governing Body, he shall issue a show cause notice of the action proposed to be taken in this regard and consider the response of the Society, and grant an opportunity of hearing, if so requested.

Supersession of  
Governing Body  
and  
appointment of  
Administrator.

(2) The Registrar General, after considering the reply, shall pass an order and may appoint an Administrator to manage the affairs of the Society with such directions as deemed appropriate. The orders passed by the Registrar General in this behalf shall be final and absolute.

(3) The Administrator shall be a Class-I officer or of equivalent rank in the Service of the Government or any statutory authority or such person who may have retired from a Class-I or equivalent position from the State or the Central Government or a statutory authority.

(4) Where a retired person is appointed as the Administrator, the Registrar General may also fix the honorarium or remuneration to be paid to the Administrator during the course of his appointment at the prescribed rates and direct such expenditure to be defrayed out of the funds of the Society.

(5) The Administrator may be appointed under sub-section (3) above for a period which shall not exceed one year in the first instance but whose term may be extended for such further period, as considered necessary, subject to the same not exceeding three years in total.

(6) On the appointment of the Administrator, the Governing Body shall cease to exercise any powers and perform and discharge any functions or duties conferred or imposed on it under the Act or the Bye-laws. The Administrator shall exercise all the powers of the Governing Body and perform all such functions or duties during the course of his appointment as provided in the Bye-laws, subject to any directions from the Registrar General.

(7) The Administrator shall, before the expiry of his term, take necessary action to hold the election of the Collegium or the Governing Body, if so required.

(8) If the Administrator is, for reasons beyond his control, not able to hold the election of the Collegium or fails to convene a meeting of the General Body, as the case may be, or inspite of such meeting having been convened, the General Body or Collegium, as the case may be, fails to elect the Governing Body, the Administrator shall forthwith send a report to the Registrar General who may pass such orders, as may be considered expedient, either extending the term of appointment of the Administrator for a further period or, if satisfied that public interest so necessitates, for the dissolution of the Society.

(9) The Registrar General may, if he thinks appropriate, appoint a committee to advise and assist the Administrator so appointed for exercise of the powers and discharge of the duties and functions conferred or imposed on him under the Act. The members of the committee shall have such qualifications, as may be prescribed and shall hold office during the pleasure of the Registrar General.

(10) Where an order of dissolution is passed, further action shall be taken in accordance with the relevant provisions of the Act.

### CHAPTER XIII

#### SUSPENSION, CANCELLATION AND DISSOLUTION

Removal of  
defunct Society  
and cancellation  
of their  
registration.

57. (1) The District Registrar, in case he has reasonable cause to believe that a Society is defunct and is not carrying on business or operations, shall issue a show cause notice to such Society, at its registered office enquiring as to whether it is carrying on its business or operations and directing them to file such documents or returns, within a period of ninety days, from the date of issue of notice.

(2) Where the defunct Society responds to such notice within specified period and submits the requisite documents or informs alongwith evidence that it is carrying on business or operations, the District Registrar shall, after due verification of records, pass an appropriate order.

(3) If the District Registrar receives a reply from the defunct Society to the effect that it is not carrying on any business or operations, he may direct the Society to convene a meeting of its General Body and pass a special resolution for its dissolution after settling all its liabilities and thereafter apply for dissolution of the Society, whereupon it shall be incumbent upon such Society to carry out such directions, within specified period.

(4) Where the District Registrar does not receive any reply within specified period, he shall cause a public notice to be issued stating that on the expiration of such period, as may be specified in such notice, the registration of such defunct Society shall be suspended.

(5) If no response is received from the defunct Society, its member, creditor or claimant within the specified period, the District Registrar shall order suspension of registration of such Society and after passing of such order, the Society shall not be competent to carry on any business.

(6) An order under sub-section (5) suspending the registration of the Society shall be notified through a public notice for the information of general public.

(7) The Society, member, creditor or claimant aggrieved with the suspension, may, within a period of three months from the date of order of suspension, submit a representation to the District Registrar.

(8) The District Registrar, on being satisfied that the Society at the time of its suspension, was carrying on business or operations or otherwise and it is just and equitable that the name of the Society be restored to the register, may revoke the suspension.

(9) The Society whose registration is restored shall be deemed to have continued in existence as if its registration had not been suspended.

(10) No claims, whatsoever, shall be valid and entertained against a Society whose registration is suspended on expiry of a period of three months from the date of suspension of its registration.

(11) If no representation against the suspension order is received within a period of three months from the date of suspension of registration, the District Registrar may, unless contrary is shown, strike off the name of the Society from the register and cancel its registration.

**58.** A Society, which has no assets or liabilities to its account and is not desirous of carrying on with its business or operations, may, after passing a special resolution, apply for cancellation of its registration to the District Registrar and the District Registrar shall, after giving a public notice of not less than ninety days inviting objections, strike out its name from the register of Societies, after considering objections, if any.

Cancellation of  
Registration of a  
Society with no  
assets and  
liabilities.

**59.** (1) The Registrar may, if he is satisfied,

- (i) that the Society has contravened any of the provisions of the Act or the rules made thereunder; or
- (ii) that the Society is insolvent, or must necessarily become so; or
- (iii) that the business of any such Society is conducted fraudulently or not in accordance with its Bye-laws or the aims and objects specified in its Memorandum; or
- (iv) that it is carrying on any unlawful activity or allowing unlawful activity to be carried on in the premises under its control, order an inquiry to be conducted by the District Registrar or any other officer authorized by him.

Cancellation of  
registration  
upon inquiry.

(2) On receipt of inquiry report, the Registrar may, give a show cause notice to the Society specifying briefly the grounds of the proposed cancellation. A

public notice inviting objections shall also be published after giving an opportunity to the Society and after issuing public notice inviting objections why the registration of the Society be not cancelled. After considering the objections filed by Society and public, the Registrar may cancel the registration.

**Explanation.**—For purposes of this section, an activity shall be deemed to be unlawful if such activity is an offence punishable under any provision of law, for the time being in force.

Effect of  
cancellation.

60. When the registration of a Society is cancelled, the Society shall forthwith cease to carry on its business, except in so far as it may be required for the beneficial winding-up of its affairs, for which purpose it shall pass a special resolution and dissolve itself in the manner as provided in the Act:

Provided that the liability of office bearer shall continue and may be enforced as if the registration of Society has not been cancelled.

Dissolution on  
directions by  
Registrar.

61. (1) Where the registration of a Society is cancelled, the District Registrar shall,—

- (i) direct the Society to complete the process of its dissolution *i.e.* pass a special resolution, collect all its receivables, and settle all its liabilities, provide the details of any of its assets left over after settlement of the liabilities, and submit a proposal for transfer of its left over assets to any other Society in existence with identical aims and objects;
- (ii) assess the credentials of a Society to whom any such assets are proposed to be transferred by the Society under clause (i) above and may either approve such proposal or direct the Society to place such assets at the disposal of the District Collector;
- (iii) constitute a committee of members of such Society to carry out the process of dissolution of the Society where there is no Governing Body or General Body to carry out the directions under (i) above;
- (iv) be competent to complete the dissolution of the affairs of the Society of his own or by appointing any of his subordinates to do the needful where it is not found feasible to constitute a committee of members of such Society. He shall associate any two members from any other Society in existence for the purpose.

(2) If on dissolution and after settlement of all the liabilities, a Society is left with any moveable or immovable assets, the District Registrar shall, in the first instance, make efforts to transfer all such assets to any other Society in existence with identical aims and objects in operation against a proper receipt, failing which, all such assets shall vest in the custody of the District Collector.

(3) Where any assets are placed at the disposal of the District Collector, he may either direct the transfer thereof to a Society in operation with identical aims and objects or use such assets preferably for the same purpose or for any other public purpose.

62. (1) A Society may resolve to dissolve itself by passing a special resolution in a meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, convened for the purpose.

Dissolution by  
special  
resolution.

(2) On the passing of the special resolution under sub-section (1) above, the Governing Body shall take all necessary steps for settlement of all claims and liabilities, as it may consider appropriate in accordance with its Bye-laws and if there are no Bye-laws, in accordance with the provisions of the Act.

(3) If any dispute arises amongst the members of the Society, the Governing Body, or the special committee, as the case may be, regarding the winding up of the affairs of the Society, it shall be referred to the District Registrar for such directions, as he may consider appropriate:

Provided that the special resolution for dissolution of the Society shall not be deemed to be a matter in dispute.

(4) If the Central Government or Government or any of its instrumentalities is a member of or a contributory to or otherwise interested in any Society, such Society shall not be dissolved without the consent of the Central Government or Government, as the case may be.

(5) After all necessary steps have been completed, the Governing Body shall send a report to the District Registrar, mentioning about the surplus assets, if any.

(6) The District Registrar shall thereupon cause a public notice issued at the expense of the Society inviting objections from any person interested in the affairs of such Society within the period specified in the notice, which shall in no case be less than three months.

(7) If no objection is received from any claimant, creditor or member of the Society within three months from the date of issue of such public notice, and after the surplus assets, if any, have been disposed of as provided in the Act, the District Registrar shall make an order confirming the dissolution and thereupon the Society shall stand dissolved. The District Registrar shall record the order of dissolution in the register maintained in his office and strike off the name of the Society from the register of Society.

(8) If any objection is received from any claimant or creditor or member or any other interested person within the period as aforesaid, the Registrar shall not make an order confirming the dissolution of the Society unless he is satisfied that the relevant claim or liability have been duly settled and the surplus assets, if any, have been disposed of as provided in the Act.

Dissolution by  
Registrar

63. (1) Where the registration of a Society is cancelled and it is found to be meriting dissolution under section 57 or where the Government decides to dissolve a Society under section 62, the Registrar General or the Registrar, as the case may be, shall order dissolution of such Society in accordance with the procedure specified under the relevant sections.

(2) Upon dissolution of a Society under sub-section (1) above, the Registrar General or the Registrar or the District Registrar, as the case may be, shall take action for winding-up the affairs of the dissolved Society in accordance with the provisions contained in the Act.

Disposal of  
assets.

64. (1) Where any surplus assets are left after the settlement of its claims and liabilities, such assets shall not be paid to or distributed amongst the members of the Society but shall be taken over and vest in the custody of Government:

Provided that in case a Society is registered for the purposes of the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (Act 10 of 1983), a housing Society or a resident welfare association registered as a Society for the operation, management and maintenance of facilities for the residents or civic amenities of any defined area, the successor-in-interest shall step in the shoes of original member subject to fulfillment of qualifications as laid down in the Bye-laws of the Society and the provisions of the Act.

(2) The Government shall place such assets at the disposal of the District Collector, who may,-

- (i) in the first instance identify any other Society in operation with identical aims and objects and transfer such assets to such Society; or
- (ii) use such assets, preferably for the purpose for which such assets were created, or for any other public purpose, as deemed appropriate.

District Registrar  
to make up  
account after  
winding up of  
Society.

65. (1) As soon as the affairs of a Society are completely wound-up, the District Registrar or his nominee, if any, shall make up an account of the winding-up showing how the winding up has been conducted and the property of the Society has been disposed and call a General Body meeting for the purpose of placing before it the account and giving any explanation in respect thereof. On conclusion, the Society shall stand dissolved and name removed from the register

(2) The records of accounts shall be maintained for a period of three years from the date of dissolution. In case any matter pertaining to any such Society is pending before any court, such records shall be maintained till the final disposal by the competent court.

#### CHAPTER XIV

#### SPECIAL PROVISIONS IN RESPECT OF STATE-AIDED SOCIETIES

Chapter to  
override other  
provisions of  
Act.

66. The provisions of this Chapter shall be applicable to State Aided Society and shall have effect notwithstanding anything contrary contained in the Act or



any other State law for the time being in force and any reference to the word 'Society' in this Chapter shall mean a State Aided Society.

67. The Government shall have the powers to issue such directions to a State Aided Society, as may be considered expedient from time to time, with regard to the management of its affairs, membership, elections, financial management, audit and submission of documents on their working to the District Registrar or the Registrar.

Powers of the Government to issue directions

68. (1) If, in the opinion of the Government, the Governing Body of any Society,

Supersession of Governing Body and appointment of Administrator

- (i) makes default or is negligent in the performance of duties imposed on it; or
- (ii) commits acts which are prejudicial to the interests of the Society, its members or public at large; or
- (iii) fails to resolve disputes with regard to the eligibility of members; or
- (iv) fails to hold elections of the Governing Body; or
- (v) is otherwise not functioning properly,

it may, after giving a show cause notice, direct the supersession of the Governing Body and appoint an Administrator, alongwith or without constitution of committee of persons to assist him for a period not exceeding two years in the first instance:

Provided that the period may be extended and continued at the request of Administrator but it shall not exceed five years in continuity.

(2) The Administrator shall, subject to the overall control of the Registrar General and such directions as may be received from him, have the powers to exercise all or any of the functions of the Governing Body of the Society and take action as may be required for proper management of the Society.

(3) The Administrator so appointed shall, before the expiry of his term, make efforts to arrange for the constitution of the Collegium, if applicable and the Governing Body, as the case may be, in accordance with the Bye-laws, provisions of the Act and the rules made thereunder.

(4) The Registrar General may fix the honorarium or remuneration payable to the Administrator or the member of the committee with the approval of the Government and direct such expenditure to be defrayed out of the funds of the Society.

69. (1) The Government may, after giving a show cause notice and for reasons to be recorded in writing, order dissolution of a Society with effect from such date, as may be specified in the order.

Dissolution

(2) Where the Governing Body stands superseded under section 68 and the affairs are being managed by an Administrator appointed by the Government and the Administrator reports to the Government that it is not feasible to hold the elections of the Governing Body for whatsoever reasons, it shall be competent for the Government, by an order and for reasons to be recorded in writing, to dissolve the Society with effect from such date as may be specified in the order.

Effect of  
dissolution

70. (1) If the Government orders dissolution, it shall, after settling the liabilities, if any, of the dissolved Society, take over its assets and properties, whether movable or immovable and transfer the same to any other Society having identical or similar objects, and where there is no such Society, the property shall vest in the custody of District Collector, until a Society having identical or similar objects is formed, where after the properties shall be transferred to such Society.

(2) On the dissolution of a Society, the registration of the Society shall stand cancelled and it shall cease to exist as a body corporate.

Powers to divide  
or amalgamate  
State Aided  
Societies.

71. (1) Where, in the opinion of the Government, it is necessary and in larger public interest to divide a Society or amalgamate two or more Societies, it may, by order and from a date fixed therein, direct the division or amalgamation of such Societies, as the case may be.

(2) The Government shall, before issuing an order either dividing a Society or amalgamating two or more Societies under sub-section (1) above, communicate to the Governing Body or bodies concerned the proposal to divide or to amalgamate the Societies, as the case may be, fix a reasonable time for the Governing Body or bodies for making a representation against the proposal and consider the representations, if any, received from the body or bodies.

(3) Where there is no duly elected Governing Body in place in respect of any one or more of such Societies and the affairs of any such Society are being managed by an Administrator or through any adhoc arrangement and there is a situation of deadlock or stalemate with regard to the elections of the Governing Body, the Government may, on the recommendations of the Administrator, take a decision in such cases for reasons to be recorded in writing.

(4) The order referred to in sub-section (1) shall contain the particulars of constitution, authorities, property, rights and interests, liabilities, duties and obligations of the Societies or Society concerned.

(5) Where a Society is divided or where two or more Societies are amalgamated, the registration of the Society or Societies divided or amalgamated, as the case may be, shall stand cancelled and the concerned Society or Societies shall cease to exist as corporate bodies. The Registrar shall issue the necessary certificate of registration wherever a new Society is formed under sub-section (1) above.

## CHAPTER XV

### VIOLATIONS, FINES AND PENALTIES

72. If a Society fails to comply with any of the requirements of the Act or contravenes any of the provisions thereof, then the Society in default shall be punishable with fine, as may be prescribed, which may extend to two thousand rupees, and in case of a continuing default or contravention, with fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the default or contravention continues.

Penalties for non-compliance

73. If an office bearer or any employee of the Society knowingly or willingly makes or causes to be made any false entry in, or any omission from any register, account, balance-sheet, or other document, required to be maintained by a Society under the Act, he shall be punishable with penalty which may extend to five thousand rupees and may be removed from such position or membership of the Society forthwith.

Penalty for falsifying any document

74. If any office bearer knowingly or willingly makes a false return or furnishes false information or wilfully or without any reasonable reason, disobeys any summons, requisition, or other lawful order or direction issued under the provisions of the Act or withholds or fails to furnish any information lawfully required from him by the District Registrar, Registrar or Registrar General or person authorised in this behalf under the provisions of the Act, shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, and in the case of a continuing default or contravention, with fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the default or contravention continues.

Penalty for furnishing false information or disobeying summons, requisition or other order or direction

75. The District Registrar may, upon an application in writing by any Society and on sufficient cause being shown, allow further time to such Society to comply with any of the provisions of the Act on payment of such late fees, as may be prescribed:

Power of District Registrar to condone delay in certain cases

Provided that the extended period so allowed shall not be more than the time permissible under the Act or the rules made thereunder for any such compliance.

## CHAPTER XVI

### LEGAL PROCEEDINGS

76. A Society registered under the Act shall be a Body Corporate by the name under which it is registered and a common seal. The Society shall be entitled to acquire, hold and dispose of property, to enter into contracts, to institute and defend suits and other legal proceedings and to do all other things necessary in furtherance of its aims and objects, for which, it has been established.

Society to be a Body Corporate.

77. (1) A Society may sue or be sued in the name of the President, the Secretary or any office-bearer authorised by the Governing Body in this behalf and may bring or defend any action or other legal proceedings touching or concerning any property or any rights or claims of the Society.

Suits and proceedings by and against the Society

(2) No suit or proceedings shall abate by reason of any vacancy or change in the holder of the office of the President, the Secretary or any office-bearer authorised under sub-section (1).

Prosecution of members

78. Every member of a Society may, be sued or prosecuted by the Society, for any loss or damage caused to it or its property or for anything detrimental done by him against the interest of the Society.

Appeals and review.

79. (1) An appeal against any orders passed by the District Registrar shall lie with the Registrar and the appeal against the orders passed by the Registrar shall lie with the Registrar General. The orders passed by the Registrar General in any such appeal shall be final and no further appeal shall be competent against his orders.

(2) Where an order originates from the Registrar General, an appeal against such order shall lie before the Government.

(3) Any appeal shall be filed within a period of sixty days of the date of issue of the impugned orders. The appellate authority may entertain an appeal beyond this period up to a maximum of another sixty days on sufficient grounds for condonation of delay being shown.

(4) Every appeal shall be accompanied with the fee as prescribed.

(5) The District Registrar, Registrar or the Registrar General may *suo motu* or on an application received in this behalf from any party that any order has been passed which is based on some erroneous facts or carries some patent error or suffers from some inadvertent mistakes, may review its order within ninety days of its passing with the prior permission of the next higher authority.

Acts not to be invalidated by certain defects.

80. Save as otherwise expressly provided in the Act, no act or proceedings of a Society or any of its office bearer shall be deemed to be invalid merely on the ground of any vacancy or defect in the organisation of the Society.

Mode of service

81. (1) Any notice, order or requisition meant for a Society or for the Governing Body thereof to be issued by the District Registrar, Registrar or the Registrar General or any other person or body shall be served on the President or Secretary of the Society, and service on the President or Secretary of the Society shall be effectual as if the same had been served on every member of the Society.

(2) The notice, order or requisition to the President or Secretary of the Society shall be sent by registered post or by any other mode, the service delivery of which can be tracked, at its registered office and once dispatched, it shall be deemed to have been served upon the Society.

Fees for various purposes to be fixed by the Government

82. (1) The Government shall prescribe the fees payable for following purposes, namely: --

- (i) application for approval of name;
- (ii) application for registration of Society;

- (iii) filing or recording or registering any document required by the Act or the rules made thereunder;
- (iv) inspection of documents in the custody of the Registrar;
- (v) making or granting copies of any entries or documents before or after registration;
- (vi) filing of appeals; and
- (vii) such other matters as appear to the Government necessary to give effect to the purposes of the Act including late fees.

(2) All fees and penalties payable under the provisions of the Act, if not paid, shall be recoverable as arrears of land revenue. The amount so collected shall be credited to the consolidated fund of the State.

83. (1) All documents filed by a Society with the District Registrar under the Act shall be deemed to be public documents and can be accessed by any citizen under the provisions of the Right to Information Act, 2005. To that extent, every society registered under the Act shall be deemed to be a public office for the purposes of the said Act and shall be liable to supply the requisite information against the fee prescribed by the Society, if any, for that purpose.

Applicability of provisions of Right to Information Act, 2005

(2) Notwithstanding the above, information relating to all other proceedings and internal processes of the working of a Society is within its exclusive jurisdiction and accessible to the members of such Society and the offices of the District Registrar and Registrar.

84. The Government may, as soon as possible, introduce e-governance for effective and efficient administration of the provisions of the Act, and upon implementation of such a solution, all or part of the transactions, forms, payments, and other services under the Act, may be administered in the electronic/ online mode.

E-governance and online transactions.

85. The Government may, by general or special order and keeping in view special circumstances and larger public interest exempt any Society or class of Society from any of the provisions of the Act:

Exemptions

Provided that the exemption shall be granted only for a period of one year and which may be extended by another year only for the reasons to be recorded:

Provided further that the exemption may be granted only for a particular provision and not from the whole of the Act and except for the provision from which exemption has been granted, all other provisions shall be applicable.

86. The Government shall be competent to issue such directions to any Society, as may be necessary, for the proper enforcement of the provisions of the Act and the rules made thereunder.

Power to issue directions

87. (1) The Government may make rules for carrying out the purposes of the Act.

Power to make rules

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for,—

- (i) draft Bye-laws;
- (ii) conditions and procedure to be followed in making, amending and abrogating Bye-laws;
- (iii) forms and documents required for the registration of Society;
- (iv) Forms and Registers required to be maintained;
- (v) Annual and other returns to be filed alongwith fee;
- (vi) manner and verification of various forms of accounts, returns and registers;
- (vii) qualifications of Administrator, members of the Committee to assist the Administrator, returning officers, observers, and of the persons authorised to hold inquiry;
- (viii) procedure to be followed for dissolution of a Society;
- (ix) inspection of documents kept by the Registrar and the grant of copies thereof;
- (x) custody of books, papers and documents in the Registrar's office and the destruction of such books, papers and documents;
- (xi) any other matter for carrying into effect the provisions of the Act.

Act to override other laws.

88. Save as otherwise expressly provided in the Act, the provisions of the Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force.

Bar of Jurisdiction.

89. (1) No Civil Court shall have jurisdiction to entertain or proceed with a suit, settle, decide or deal with any matter which, under the Act, is required to be settled, decided or dealt with by an authority under the Act.

(2) No order of the Government, Registrar General, Registrar or District Registrar made under or in pursuance of the Act shall be called in question in any court.

Power to employ.

90. A Society may employ officers and officials for day to day conduct of its management or operations:

Provided that no member of the Society shall be in the employment of the Society.

Power to remove difficulties

91. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act in the first three years from the date of commencement of the Act, the Government may, by

order published in the Official Gazette, make such provision or give such directions not inconsistent with the provisions of the Act, as appears necessary or expedient for removing such difficulty.

92. (1) The Societies Registration Act, 1860, in its application to the territorial jurisdiction of the State of Haryana is hereby repealed. Repeals and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act (including any order, rule, regulation, instructions, certificate or Bye-laws) in the exercise of any power conferred by or under the repealed Act shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by corresponding provisions of the Act.

(3) Any Society registered at any place in the State of Haryana under the Societies Registration Act, 1860, shall be deemed to have been registered under the Act, and its principal office shall be deemed to be the registered office:

Provided that—

- (i) the Memorandum and the Bye-laws of any such Society, to the extent these are repugnant to or inconsistent with any of the provisions of the Act and the rules made there under, shall be brought in conformity with the provisions of the Act within a period of two years from the commencement of the Act or within such further period as the Government may allow, and thereafter, to the extent of such repugnancy or inconsistency, be deemed to be void and of no effect;
- (ii) any officer elected or appointed to and holding office immediately before the commencement of the Act shall continue to hold such office until the expiry of his term of office or until such office is lawfully terminated;

(4) Nothing under the Act shall affect any right, privilege, obligation, liability or punishment under the repealed Act:

Provided that any investigation or proceedings, including proceedings for dissolution, or the supersession of the Governing Body or appointment of an Administrator commenced before the coming into force of the Act, shall be continued and conducted in accordance with the provisions contained in this Act.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

At present, the law relating to the Societies and their registration is governed by the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) in its application to the State of Haryana. The Societies Registration Act, 1860, being a 19th Century legislation, has become outdated and found to be deficient in addressing the present day requirements. As such, need has been felt for framing a comprehensive legislation with regard to the registration and regulation of Societies to meet the present day requirements.

The inadequacies of existing legislation and absence of a comprehensive regulatory framework has led to a number of disputes and filing of a number of court cases. Disputes relating to memberships and the elections of societies are in the forefront. It has been observed that the membership of certain societies is very large, generating contested claims and counter-claims, involving allegations of bogus memberships, which in turn often lead to election related disputes. The enormity and spread of the members makes it difficult to ensure participation of members in the process of decision making.

Keeping in view that the scope of activities covered by various Societies registered under the 1860 Act is very large and the stakeholders belong to all sections of Society, it has become imperative to make provisions for effective regulation of the societies and simplify the provisions to minimise the scope of any ambiguity. This Bill provides for summary settlement of membership and election related disputes which take very long time in the courts. It provides for vesting of properties in the Society itself rather than the Governing Body as per existing section 5 of the 1860 Act and which could be misused by an office-bearer for personal use. The Act forbids employment of a member or dependent in the society and division of profits among the members except in case of housing societies. It introduces the concept of electoral colleges and constitution of a Collegium as an intermediate body to address the problems of societies with large memberships and to ensure and enable participative decision making. The Bill seeks to establish a regulatory framework with the objective to provide clear guidelines for smooth administration and management of the affairs of the Societies registered under this Act in the State of Haryana.

-----  
RANDEEP SINGH SURJEWALA,  
Industries & Commerce Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :  
The 28th February, 2012

SUMIT KUMAR,  
Secretary.



**FINANCIAL MEMORANDUM**

The Haryana Registration & Regulation of Societies Bill, 2012 shall enable to meet the present day requirement of Societies keeping in view the vast scope of activities covered by various societies. It would enable to meet all the existing gaps, introduce the required clarity on various issues and help in effective administration and regulation of the Societies. A provision has been made to revise and levy various fees through the rules to be made under the proposed legislation. It is, however, not possible to assess the total financial effect thereof at this stage as the same would depend on the various services sought by the stakeholders in due course of time.

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Section 87 of the Haryana Registration and Regulation of Societies Bill, 2012 contains an enabling general provision titled 'Power to make rules' delegated to the executive *i.e.* State Government. The provisions of the above Bill *but* nowhere over-ride the normal scope of delegation. Hence, the memorandum evidently shows that the rule making provisions having been made to carry out the purposes of the Act.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 11-एच० एल० ए०

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन विधेयक, 2012

कला, ललित कलाओं, परोपकार, शिल्प, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, दर्शनशास्त्र,  
राजनैतिक शिक्षा, धर्म, खेल, विज्ञान, किसी लोक या धर्मार्थ प्रयोजन  
को बढ़ावा देने तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों  
के लिए हरियाणा राज्य में सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण  
तथा विनियमन से संबंधित विधि को समेकित  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित  
रूप में यह अधिनियमित हो :

## अध्याय I

### प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम  
2012 कहा जा सकता है :

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार तथा  
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी विधि को लागू होगा, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में  
नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तिथियां नियत की जा  
सकती हैं।

2. इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

परिभाषाएँ

(i) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा  
विनियमन अधिनियम, 2012;

(ii) "उपविधियों" से अभिप्राय है, सोसाइटी की उपविधियां;

(iii) "कॉल्लिजियम" से अभिप्राय है, किसी सोसाइटी के सदस्यों के निर्वाचित  
प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाला मध्यवर्ती निकाय तथा ऐसे मामलों  
में गठित किए जाने के लिए अपेक्षित है जहां सदस्यों की संख्या तीन  
सौ से अधिक है,

(iv) "निष्क्रिय सोसाइटी" से अभिप्राय है, ऐसी सोसाइटी जो कोई कारबार या  
परिचालन नहीं कर रही है या लगातार यथा विहित अवधि के लिए जिला  
रजिस्ट्रार के पास अपनी वार्षिक या अन्य विवरणियां दायर नहीं की हैं,

- (v) "नियत तिथि" से अभिप्राय है, तथा ऐसी तिथि का निर्दिष्ट करती है जिसका किसी सोसाइटी का कॉलिजियम या शासकीय निकाय की पदावधि समाप्त होती है तथा जिसके द्वारा उत्तराधिकारी निकाय का निर्वाचन पूर्ण होना चाहिए.
- (vi) "जिला" से अभिप्राय है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) के अधीन राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित कोई राजस्व जिला.
- (vii) "जिला रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी;
- (viii) "दस्तावेज" से अभिप्राय है, तथा इसमें सदस्यों के रजिस्टर लेखा पुस्तकें, विवरणियां, वार्षिक विवरणियां, अन्य कानूनी रजिस्टर, सम्मन सूचना, मांग, आदेश, अन्य विधिक प्रक्रियाएं वगैरे इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम या अन्यथा के अनुसरण में जारी की गईं हैं या रखी गईं हैं, शामिल हैं;
- (ix) "निर्वाचित सदस्य" से अभिप्राय है, सोसाइटी का कोई सदस्य जो कॉलिजियम के लिए या शासकीय निकाय के पदाधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है,
- (x) "वित्त वर्ष" से अभिप्राय है, किसी वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन से शुरू होने वाली तथा आगामी वर्ष के मार्च मास के इक्कीसवें दिन को समाप्त होने वाली अवधि ,
- (xi) "सामान्य निकाय" से अभिप्राय है, किसी सोसाइटी के सभी सदस्यों का निकाय,
- (xii) "शासकीय निकाय" से अभिप्राय है, किसी सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों द्वारा गठित या निर्वाचित कार्यकारी समिति, प्रबन्धन समिति या कोई अन्य समिति तथा जो सोसाइटी के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है;
- (xiii) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
- (xiv) "वयस्क" से अभिप्राय है, इक्कीस वर्ष या इससे ऊपर का कोई व्यक्ति;
- (xv) "सदस्य" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट, किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए पात्रता मापदण्ड पूरा करता है तथा इसकी उपविधियों के अनुसार सोसाइटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है;

- (xvi) "ज्ञापन" से अभिप्राय है, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार समय-समय पर मूल रूप में बनाया गया तथा यथा संशोधित सोसाइटी का संगम ज्ञापन;
- (xvii) "पदाधिकारी" से अभिप्राय है, तथा इसमें सोसाइटी के कारबार के संचालन के संबंध में निर्देशन देने के लिए उप-विधियों के अधीन सशक्त शासकीय निकाय का प्रधान, उप-प्रधान, सचिव, संयुक्त सचिव, प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य शामिल है;
- (xviii) "विहित" से अभिप्राय है, नियमों के अधीन विहित;
- (xix) "सार्वजनिक सूचना" से अभिप्राय है, क्षेत्र में मुख्य रूप से परिचालित कम से कम दो समाचार पत्रों, में प्रकाशित नोटिस जिन में से एक देशी भाषा में होगा तथा जिसकी प्रति जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की गई हो;
- (xx) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सोसाइटी का रजिस्ट्रार;
- (xxi) "महारजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त किया गया महारजिस्ट्रार;
- (xxii) "नियमों" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;
- (xxiii) "सोसाइटी" से अभिप्राय है, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत के रूप में समझी गई कोई सोसाइटी तथा, इसमें शामिल है राज्य सहायता-प्राप्त सोसाइटी;
- (xxiv) "विशेष संकल्प" से अभिप्राय है, सामान्य निकाय या कॉल्लिजियम, जैसी भी स्थिति हो, की बैठक में, जिसमें कम से कम चालीस प्रतिशत मतदान के लिए हकदार सदस्य उपस्थित हों तथा इस प्रकार उपस्थित सदस्यों तथा मतदान कर रहे 3/5 द्वारा संकल्प अनुमोदित किया गया है, पारित संकल्प;
- (xxv) "राज्य" से अभिप्राय है हरियाणा राज्य;
- (xxvi) "राज्य सहायता-प्राप्त सोसाइटी" से अभिप्राय है, कोई सोसाइटी जो इसके ज्ञापन या इसकी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार स्थापित अपनी सुविधाओं या संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए सरकार या स्थानीय निकाय या इसके अस्तित्वों से कोई आवर्ती अनुदान या वित्तीय सहायता की प्राप्ति में है तथा इसमें कोई सोसाइटी जहां इसकी कोई एक या इससे अधिक संस्था सहायता प्राप्त कर रही है, शामिल है।

## अध्याय II

## सोसाइटी के अधिकारी

महारजिस्ट्रार अन्य  
अधिकारी तथा जिला  
शांतिपाल

3. (1) सरकार आदेश द्वारा, किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य को महा-  
रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो अधिनियम द्वारा या के अधीन ऐसी शक्तियां  
का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेगा जो उसे प्रदत्त किये गए हों।

(2) महारजिस्ट्रार, आदेश द्वारा सरकार के किसी श्रेणी-I अधिकारी को  
रजिस्ट्रार के रूप में तथा सरकार के अन्य अधिकारियों को जो श्रेणी-II की पदवी से नीचे के  
न हों, को उसके कृत्यों के निर्वहन में रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त  
रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा समय-समय पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग  
करने तथा ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करने के लिए जो उन्हें सौंपे जाएं, उन्हें सश-  
क्त करेगा।

(3) महारजिस्ट्रार, आगे एक या अधिक जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता के  
संबंध में ऐसी शक्तियां का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए  
जो उन्हें अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं, जो सरकार में श्रेणी II की पदवी से नीचे का न  
हों, को जिला रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकता है, वह सहायता सेवा नियंत्रण या निष्पक्ष  
के निबंधनों के अनुसार कतिपय अधिकारियों को जो सरकार में श्रेणी I की पदवी से नीचे  
के न हों, को उप जिला रजिस्ट्रार या सहायक जिला रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकता  
है तथा ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का उन्हें समय-समय पर सौंपे जाए का प्रयोग करने के लिए  
उन्हे सशक्त करेगा।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त अधिकार, सरकार के सम्पूर्ण प्रशासनिक  
नियन्त्रण तथा अधीक्षण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अपने कर्तव्यों का  
निर्वहन करेगा तथा कृत्यों का पालन करेगा।

महारजिस्ट्रार तथा  
अन्य अधिकारियों का  
अपने कर्तव्यों में

4. अधिनियम या उसके अधीन प्रभावी पुरे नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर  
रहा या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता,  
1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

सदभावपूर्वक किये  
गये कृत्यों के लिए  
क्षतिपूर्ति।

5. अधिनियम के अधीन महारजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार के  
अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध उस द्वारा सदभावपूर्वक की गई  
या किये जाने के लिए उत्तरपत्रित किसी बात के संबंध में कोई जाद अभियोजन या अन्य प्रतिक  
कार्यवाहिया नहीं हो सकेंगी।

## अध्याय-III

## सोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्य

लक्ष्य तथा उद्देश्य:

6. नीचे वर्णित किन्हीं प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध किन्हीं सात या अधिक व्यक्तियों  
को आपन पर अपने नाम हस्ताक्षरित करते हुए तथा स्वयं को सोसाइटी बनाते हुए जिला

रहित स्तर व धारा उसे दायर करेंगे। राज्य तथा उद्देश्य जिनके लिए सोसाइटी बनाई जा सकती है।

- (i) पर्योपकार या किसी लोककल्याणकारी गतिविधि को बढ़ावा देना।
- (ii) कला, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, दर्शन शास्त्र, धर्म, उद्योग-धन्ने, दस्तकारी विकास, ललित कलाओं इत्यादि को बढ़ावा देना,
- (iii) खेलों (दौड़ क्रीड़ा को छोड़कर) को बढ़ावा देना,
- (iv) लोक कलाओं को बढ़ावा देना,
- (v) शिल्प कलाओं तथा दस्तकारी को बढ़ावा देना,
- (vi) किसी उपयोगी जानकारी का शिक्षण तथा प्रसार करना,
- (vii) राजनैतिक शिक्षा का प्रसार करना,
- (viii) जन साधारण के उपयोग के लिए पुस्तकालयों या वाचनालयों या ज्ञान अजायबघरों तथा गलरियों की चित्रकारी तथा कला की अन्य कला कृतियों की स्थापना तथा रख-रखाव करना,
- (ix) प्राकृतिक सम्पदा जैसे भूमि, जल, सड़क, वन तथा वन्य जीवों तथा अवसरचना सुविधाओं के सर्वोत्कृष्टियों जैसे सड़कों, बिजली, वाहनचालन, हितैषी पहल करना तथा ऐसे अन्य साधन तथा अवसरचना के लिए जो समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं के लिए उचित उपयोग को बढ़ावा देना,
- (x) हरियाणा कक्षा-समूह स्वामित्व अधिनियम 1983 (1983 का अधिनियम 10) के अधीन तथा अधिकथित फ्लैट्स या मकान या सहस्वामित्व या को-ऑपरेटिव स्पेस के स्वामियों का संघ बनाने या किसी परिभाषित क्षेत्र के निवासियों या जन सुख सुविधाओं के लिए सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन तथा रख-रखाव के लिए आवासन परियोजनाओं के लिए बनाया गया कल्याण संगठन या निवासी कल्याण संगठन बनाना;
- (xi) प्राकृतिक वृत्त अभियान्त्रिकी तथा दार्शनिक आविष्कार, उपकरण या अभिकल्प इत्यादि का संग्रहण, तथा
- (xii) राज्य में किसी सरकारी प्रायोजक स्कीम का कार्यान्वयन करना तथा बढ़ावा देना।

परन्तु जहाँ कोई भी सोसाइटी जो किसी परिभाषित क्षेत्र के निवासियों या नागरिक सुख सुविधाओं के लिए सुविधाओं के संचालन, प्रबन्धन तथा रख-रखाव के लिए हरियाणा कक्षा-समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 10) के अधीन अधिकथित आवश्यकताओं के अनुसरण में फ्लैट्स या मकान या

फ्लोर स्पेस के स्वामियों की आवासन सोसाइटी या कल्याण संघ के श्रेय धारकों या सदस्यों के अंशदान द्वारा बनाई गई या स्थापित की गई है के सिवाय कोई भी सोसाइटी, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी जब तक यह इसके किसी सदस्य या उनके आश्रितों या विधिक उत्तराधिकारियों की किन्हीं परिसम्पत्तियों के किसी लभभांश या वितरण के भुगतान पर रोक नहीं लगाती है।

#### अध्याय-IV

#### सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण

सोसाइटीया  
अवधारणय नाम से  
रजिस्ट्रीकृत न का  
परीना।

7. (1) कोई भी सोसाइटी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी जो संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के उपबन्धों की उल्लंघना करता है।

(2) लिखित में सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कोई भी सोसाइटी ऐसा नाम जिस में निम्नलिखित कोई शब्द अन्तर्विष्ट हो, रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी अर्थात्:

(i) "सहकारी" या "भूमि विकास";

(ii) "रिजर्व बैंक";

(iii) "संघ" या "राज्य" या "राष्ट्रीय" या "अन्तर्राष्ट्रीय" या "सार्वभौम" या कोई शब्द जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या संरक्षण की अभिव्यक्ति या विपक्षित करना हो, तथा

(iv) "नगर" या "वार्ड" या कोई शब्द जो किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के साथ सम्बन्ध को इंगित करता है या इंगित करने के लिए परिगणित करता है।

(3) कोई भी सोसाइटी राज्य में ऐसे नाम के अधीन जो कोई अन्य सोसाइटी या कोई निगमित निकाय जो पहले ही अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो गई है, या तत्सम्य लागू किसी अन्य विधि के अधीन निगमित हो गई है, जैसी भी स्थिति हो के नाम के समरूप है, या अति सदृश है, रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी, सिवाय जहां सोसाइटी का अस्तित्व विघटन होने के अनुक्रम में है तथा ऐसे नाम के रजिस्ट्रीकरण के लिए लिखित में अपनी सहमति नहीं दर्शाती है।

नाम का अनुमोदन  
तथा रजिस्ट्रीकरण  
के लिए आवेदन।

8. (1) कोई आवेदन विहित प्रक्रिया के अनुसार सोसाइटी के नाम का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विहित प्रोफार्मा में दायर किया जाएगा।

(2) नाम के अनुमोदन के बाद, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार किया गया डायन तथा उप-विधियां तथा यथा विहित सभी अन्तर्विष्ट ब्यौरों सहित, जिला रजिस्ट्रार, जिसकी अधिकारिता में सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, को दायर किया जाएगा।



(3) ज्ञापन कम से कम सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जो व्यस्क हो तथा अपना पता, हुलिया तथा व्यवसाय, यदि कोई हो, कम से कम दो साक्षियों की उपस्थिति में जो व्यस्क भी हो तथा वे अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा अपना पता, हुलिया, तथा व्यवसाय, यदि कोई हो, देंगे। उप-विधियां ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित भी की जाएगी।

9 (1) जिला रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सवीक्षा के बाद यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक ने रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम तथा नियमों के सभी उपबन्धों की अनुपालना की है, तो वह उस द्वारा भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ब्यौरे दर्ज करेगा तथा यथा विहित प्रारूप तथा रीति में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र जारी करेगा ;

(2) यदि जिला रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इनकार करता है, तो वह उसके कारणों को बतायेगा तथा उन्हें आवेदकों को संसूचित करेगा ;

(3) जिला रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सोसाइटी की एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या निर्धारित की जाएगी।

(4) प्रत्येक विद्यमान सोसाइटी, एक वर्ष की अवधि या ऐसी और अवधि के लिए जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए के भीतर नई रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को विहित प्रोफार्मा में आवेदन करेगी। यदि नई संख्या के लिए एक वर्ष के भीतर आवेदन नहीं किया है तब छह मास की अवधि के भीतर यथा विहित फीस सहित संख्या के लिए आवेदन किया जाएगा तथा यदि सोसाइटी ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर नई संख्या के लिए आवेदन देने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

10. (1) जिला रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यक् रूप में रजिस्ट्रीकृत है जब तक अन्यथा यह सिद्ध नहीं हो गया है।

(2) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सोसाइटी इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कहीं अन्य स्थान पर जहां यह अपना कारबार या परिचालन कर रही है के बाहर इसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित नाम को प्रमुख रूप में प्रदर्शित करेगी, तथा उस पर इसके नाम उत्कीर्ण वाली मोहर होगी; सोसाइटी का नाम, रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इसके पक्ष में या इसकी ओर से निष्पादित किये जाने वाले सभी दस्तावेजों में वर्णित किये जाएंगे।

11. (1) प्रत्येक सोसाइटी का जिला जिसमें यह रजिस्ट्रीकृत है में किसी भी स्थान पर स्थित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा, जिस पर सभी पत्र व्यवहार तथा सूचनाएं प्रेषित की जाएंगी।

(2) सोसाइटी के पते में प्रत्येक परिवर्तन के बारे में सूचना इसके रजिस्ट्रीकरण या इसके परिवर्तन तिथि की तीस दिन की अवधि के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, जिला रजिस्ट्रार

के कार्यालय में सोसाइटी द्वारा दी जाएगी जो इन्हें उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में तथा सोसाइटी के रजिस्टर में उसका अभिलेख करेगा।

(3) जिला जिसमें यह रजिस्ट्रीकृत है, से बाहर किसी स्थान पर सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का कोई परिवर्तन दोनों जिला रजिस्ट्रारों को सूचित किया जाएगा।

नाम में परिवर्तन।

12. (1) कोई सोसाइटी, विहित रीति में जिला रजिस्ट्रार से प्रस्तावित नये नाम को अनुमोदित करवाने के बाद अपना नाम परिवर्तन कर सकती है। नाम के अनुमोदन के बाद सोसाइटी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति विहित फीस तथा विशेष संकल्प की प्रति सहित नाम परिवर्तन के लिए जिला रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला रजिस्ट्रार पहले नाम के स्थान पर रजिस्टर में नये नाम को दर्ज करते हुए सोसाइटी के नाम में परिवर्तन रजिस्टर करेगा तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन सम्मिलित करते हुए परिवर्तित नाम के साथ-साथ पुराने नाम को समाविष्ट करते हुए नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा। नाम का परिवर्तन केवल ऐसे प्रमाण-पत्र के जारी होने पर मान्य होगा।

रजिस्ट्रार के निदेशन पर नाम में परिवर्तन।

13. (1) यदि कोई सोसाइटी ऐसे नाम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है जो रजिस्ट्रार की राय में किसी अन्य सोसाइटी या कोई निगमित निकाय के नाम के समरूप या अतिसदृश है, जो अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पूर्व में रजिस्ट्रीकृत या निगमित है या अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई है, निरन्तर विद्यमान है, तो वह इस निमित्त किए गए आदेश द्वारा ऐसे समय के भीतर जो रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे, ऐसी सोसाइटी को इसका नाम परिवर्तित करने तथा इसके स्थापन का संशोधन करने के लिए निदेश दे सकता है।

(2) जहां रजिस्ट्रार द्वारा नाम में परिवर्तन निर्देशित किया गया है, सोसाइटी जो प्रथम में रजिस्ट्रीकृत की गई थी को इसका नाम रखने को अनुज्ञात करेगा तथा जो पश्चात्पूर्वी रजिस्ट्रीकृत है को ऐसे समय जो रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए के भीतर उनके नाम के परिवर्तन की अपेक्षा की जाएगी।

(3) नाम में परिवर्तन सोसाइटी के अधिकारों तथा दायित्वों या इसके द्वारा या इसके विरुद्ध किसी अन्य विधिक कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा।

#### अध्याय—V

#### सदस्यता

सदस्यों की न्यूनतम संख्या तथा सदस्यों के प्रकार।

14. कोई सोसाइटी इसके रजिस्ट्रीकरण के समय न्यूनतम सात सदस्यों से मिलकर बनेगी तथा इसकी उपविधियों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार व्यक्तियों को संस्थापक सदस्यों, आजीवन सदस्यों, साधारण सदस्यों, सह-सदस्यों, अवधि सदस्यों या अवैतनिक सदस्यों के रूप में सम्मिलित कर सकती है। दान, दाता को सोसाइटी के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के लिए अधिकार नहीं देगा।

15. कोई सोसाइटी इसकी उपविधियों में वार्षिक अंशदान फीस सहित विभिन्न प्रकार की सदस्यता के लिए विभिन्न फीस विहित कर सकती है तथा सदस्य, इस प्रकार की सदस्यता का उस समय तक उपभोग करता रहेगा जब तक उसमें यथाविहित अवधि के लिए किसी ऐसी फीस या वार्षिक अंशदान का भुगतान बकाया न हो।

विभिन्न प्रकार के सदस्यों के लिए विभिन्न फीस :

16. कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा, यदि वह,- सदस्य बनने के लिए पात्रता शर्तें।

- (i) शामिल करने की तिथि को 21 वर्ष की आयु का है ;
- (ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के लिए अंशदान करता है ;
- (iii) सोसाइटी की उपविधियों में यथा विहित सदस्यता फीस जमा करवा दी है ; तथा
- (iv) दिवालिया या विकृतचित्त नहीं है या एक वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध का दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

17. सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को यथा विहित फोटोग्राफ तथा विवरण रखने वाला सोसाइटी द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा। पहचान-पत्र।

18. (1) प्रत्येक सोसाइटी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अपने सदस्यों का रजिस्टर रखेगी तथा विहित रीति में किसी सदस्यता को शामिल करने या को हटाने या की समाप्ति करने, जैसी भी स्थिति हो, के पन्द्रह दिन के भीतर, सदस्य को शामिल करने या हटाने के विवरण उसमें दर्ज करेगी। सदस्यों का रजिस्टर।

(2) सोसाइटी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर की प्रति, यदि रजिस्ट्रीकरण के समय पर दायर नहीं की गई है, तो रजिस्ट्रीकरण की तिथि से साठ दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगी।

(3) सोसाइटी में शामिल किए गए तथा हटा दिए गए, यदि कोई हों, को पृथक् रूप से दर्शाते हुए सदस्यों की अद्यतन सूची प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति की साठ दिन की अवधि के भीतर यथा विहित भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक ढंग में जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर करेगी।

(4) सदस्यों की अद्यतन सूची दायर करते समय सोसाइटी का प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित करेगा कि ऐसे शामिल किए गए या हटा दिए गए सदस्य अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार हैं।

19. सदस्यों का रजिस्टर सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में खुला रखा जाएगा तथा कारबार समय के दौरान जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार या सोसाइटी के किसी सदस्य के कार्यालय के किसी अधिकारी की पहुंच में रहेंगे। निर्देश।

सदस्यों के अधिकार  
तथा बाधकार

20. (1) प्रत्येक सदस्य जिला रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के समय-समय पर यथा संशोधित नियमों, विनियमों तथा उप-विधियों द्वारा ग्राहक बनने के लिए बाध्य होगा।

(2) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि को, उसकी सदस्यता फीस या वार्षिक अंशदान के भुगतान बकायों के न रहने के अधीन यथा विहित किसी अवधि के लिए वैयक्तिक रूप में अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(3) प्रत्येक सदस्य को युक्तियुक्त नोटिस देने के बाद कारबार समय के दौरान किसी कार्य दिवस को लेखा पुस्तकों, बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रखने वाली पुस्तकों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

सदस्यता विवादों का  
निपटान

21. (1) जहां कोई सदस्य, सदस्य के रूप में शामिल किए गए का दावा करता है किन्तु सदस्यों के रजिस्ट्रार में शामिल नहीं किया गया है या कोई सदस्य सोसाइटी की सदस्यता से उसे हटाये जाने से व्यथित है तो वहां ऐसा व्यक्ति विहित फीस के साथ जिला रजिस्ट्रार को याचिका प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य जो उचित समझे जाएं, सहित अपनी याचिका का समर्थन करने के लिए अपेक्षा करेगा।

(3) किसी ऐसी याचिका की प्राप्ति पर जिला रजिस्ट्रार सभी सम्बन्धित को सुनवाई का अवसर देने के बाद उप-विधियों के अनुसार मामले पर विचार करेगा तथा विवादों का निपटान करेगा।

(4) जहां उपविधियां विवाद का सम्बोधन करने के लिए खाभोश या स्पष्टता की कमी के रूप में समझी गई हैं या अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत हैं, वहां जिला रजिस्ट्रार अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार मामले का निर्णय करेगा।

(5) जहां सोसाइटी के सदस्यों की संख्या ज्यादा है और ऐसे सदस्यों की पहचान तथा असलियत को सत्यापित करने, अवधारित करने तथा सिद्ध करने के लिए समीचीन समझी गई है, वहां जिला रजिस्ट्रार सोसाइटी के सभी सदस्यों से सदस्यों के रजिस्ट्रार में यथा विहित ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में यथा अभिलिखित पहचान तथा स्वीकार्य सबूत के साथ-साथ वैयक्तिक रूप में उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षा करेगा।

(6) जहां कार्रवाई उपरोक्त उपधारा (5) के अनुसार की गई है तथा कतिपय सदस्य दो बार अवसर दिए जाने के बावजूद उसके समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, वहां जिला रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार से ऐसे सदस्यों के नाम काटने के लिए सक्षम होगा।

22. सोसाइटी में शामिल किया गया कोई सदस्य निम्नलिखित दशाओं में ऐसे रूप में नहीं रहेगा, -

सदस्यता की समाप्ति।

- (i) उसको त्यागपत्र प्रस्तुत करने तथा स्वीकृत होने पर ; या
- (ii) यदि वह धारा 16 के अधीन यथा वर्णित के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्रता की शर्त को पूरा नहीं करता है ; या
- (iii) यथा विहित किसी अवधि के लिए निरन्तर सदस्यता फीस या वार्षिक अंशदान का भुगतान करने में उसकी असफलता पर ; या
- (iv) किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ।

परन्तु यदि हरियाणा कक्ष-समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 10) के अनुसार प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, किसी परिभाषित क्षेत्र में निवासियों या नागरिक सुख-सुविधाओं के लिए सुविधाओं के परिचालन, प्रबन्धन तथा रखरखाव हेतु किसी सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई आवासन सोसाइटी या निवास कल्याण संघ, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को उपविधियों तथा अधिनियम के उपबन्धों में यथा अधिकथित अर्हताओं को पूरा करने के अध्याधीन सदस्य बनाना होगा।

23. कोई भागीदार फर्म, चाहे पंजीकृत है या नहीं, या कोई निगमित निकाय चाहे किसी भी प्रकार की हो, सोसाइटी के सदस्य के रूप में पात्र नहीं होगी :

सदस्य होते हुए  
जैत फर्म।

परन्तु भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) की धारा 4 में यथा परिभाषित किसी भागीदार या किसी निगमित निकाय का कोई सदस्य या शेयर धारक उसकी व्यक्तिगत हैसियत में कोई सदस्य बनने के लिए कोई वर्जन नहीं होगा।

## अध्याय VI

### सोसाइटी के ज्ञापन तथा उपविधियां

24. ज्ञापन में निम्नलिखित निर्दिष्ट होंगे,--

ज्ञापन

- (i) सोसाइटी का नाम;
- (ii) सोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्य ;
- (iii) प्रथम शासकीय निकाय जिसको सोसाइटी की उपविधियों के अधीन इसके कार्यकलापों का प्रबन्ध सौंपा गया है, के सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय , तथा
- (iv) स्थान तथा जिला जिसमें सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है।

उपविधियाँ।

25. उपविधियाँ साधारणतः यथा विहित आदर्श उपविधियों के अनुरूप होंगी तथा निम्नलिखित मामलों के संबंध में उपबन्ध अन्तर्विष्ट होंगे, -

- (i) परिचय जिसमें सोसाइटी का नाम तथा पता शामिल है,
- (ii) सोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्य,
- (iii) सोसाइटी की सदस्यता को विनियमित करने वाले उपबन्ध अर्थात् पात्रता, शामिल करने, सदस्यता की किस्म सदस्यता फीस, अंशदान फीस त्यागपत्र, प्रत्याहरण तथा समाप्ति इत्यादि
- (iv) सामान्य निकाय का गठन, इसकी शक्तियाँ, कृत्य इसकी बैठकों की आवृत्तिता, गणपूर्ति, बैठकों के लिए सूचना की अवधि, मतदान की रीति कार्यवाहियों के अभिलेख इत्यादि,
- (v) निर्वाचकगण की रचना के नियम, कॉलेजियम का गठन, कॉलेजियम के सदस्य के निर्वाचन के लिए रीति तथा ढंग, सदस्य का त्यागपत्र, हटाया जाना, पदावधि, शक्तियाँ कृत्य, प्रक्रिया तथा कॉलेजियम की बैठक करवाने की आवृत्तिता, गणपूर्ति, बैठकों के लिए सूचना की अवधि, मतदान की रीति, कार्यवाहियों के अभिलेख इत्यादि ;
- (vi) शासकीय निकाय का गठन, पदाधिकारियों के निर्वाचन की रीति तथा ढंग या नियुक्ति, त्यागपत्र या हटाया जाना, पदावधि, इसकी शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य, बैठक करवाने की प्रक्रिया तथा आवृत्तिता, गणपूर्ति, बैठकों के लिए सूचना की अवधि तथा मतदान की रीति कार्यवाहियों के अभिलेख इत्यादि,
- (vii) उपविधियों में संशोधन की प्रक्रिया,
- (viii) समामेलन, विभाजन तथा विघटन के संबंध में प्रक्रिया;
- (ix) ऋण उन्मोचन इत्यादि के लिए एकत्रित की जाने वाली निधियों की किस्मों सहित वित्तीय साधन, लेखों का रख-रखाव, लेखों का निरीक्षण तथा इनकी लेखा-परीक्षा, लेखापरीक्षक की नियुक्ति, सदस्य का दायित्व;
- (x) सोसाइटी की सम्पत्ति/परिसम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में उपबन्ध विशेष रूप से वर्णित करते हुए सोसाइटी के किसी धन को रखने या निवेश करने की रीति ,
- (xi) यथा अपेक्षित सोसाइटी के कार्यकलापों से संबंधित कोई अन्य मामला ।

ज्ञापन तथा  
उपविधियों का  
संशोधन ।

26. (1) कोई सोसाइटी, विशेष संकल्प द्वारा, निम्नलिखित के संबंध में अपने ज्ञापन के उपबन्धों का संशोधन कर सकती है, -

- (i) सोसाइटी के नाम में परिवर्तन , या

(ii) अधिनियम के अधीन यथा अनुज्ञेय सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में परिवर्तन।

(2) कोई सोसाइटी विशेष संकल्प द्वारा अपनी उपविधियां संशोधित करेगी।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन पारित कोई विशेष संकल्प उसके अनुमोदन की तिथि से तीस दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा तथा जिला रजिस्ट्रार, यदि उसकी सन्धि हो गई है कि वह अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार है, ऐसे परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करेगा। कोई ऐसा परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक यह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है।

(4) यदि जिला रजिस्ट्रार उपधारा (3) के अधीन ज्ञापन या उपविधियों में परिवर्तन रजिस्ट्रीकृत करने के लिए इनकार करता है तो वह सोसाइटी द्वारा विशेष संकल्प के दायर करने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित में उसके लिए कारण संसूचित करेगा तथा उस दशा में सोसाइटी द्वारा पारित विशेष संकल्प का प्रभाव नहीं रहेगा। यदि जिला रजिस्ट्रार साठ दिन के भीतर कारण संसूचित करने में असफल रहता है, तो विशेष संकल्प उस द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।

27. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या अन्यथा से रिपोर्ट पर, विचार करता है कि ज्ञापन या उपविधियों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है या अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुरूप उनको लाना वांछनीय है, तो वह सोसाइटी को लिखित आदेश द्वारा ऐसा संशोधन ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए करने के लिए निदेश दे सकता है।

रजिस्ट्रार की ज्ञापन या उपविधियों में संशोधन करने के लिए निदेश देने की शक्ति।

(2) शासकीय निकाय, सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष ऐसे निदेश उसके विचारण तथा अनुमोदन के लिए ऐसे निदेशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर रखेगा।

(3) यदि सोसाइटी विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई ऐसा संशोधन करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को अपने आक्षेप, यदि कोई हों, बताने के लिए अवसर देने के बाद ज्ञापन या उपविधियां, जैसी भी स्थिति हो में ऐसा संशोधन रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा सोसाइटी को उसकी प्रमाणित प्रति भेजेगा। ज्ञापन या उपविधियां, जैसी भी स्थिति हो, में ऐसा संशोधन अन्तिम होगा और सोसाइटी तथा उसके सदस्यों पर बाध्य होगा।

28. प्रत्येक सोसाइटी, मांग करने पर, शामिल किए जाने के समय सदस्यों को इसके ज्ञापन या उपविधियों की प्रति देगी।

ज्ञापन तथा उपविधियों की प्रति की आपूर्ति।

## अध्याय VII

## सामान्य निकाय, कॉलिजियम तथा शासकीय निकाय

सामान्य निकाय

29. (1) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी सोसाइटी के सदस्यों के रूप में शामिल किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या से इसकी सामान्य निकाय का गठन होगा।

(2) प्रत्येक सोसाइटी इसकी उपविधियों में इसकी सामान्य निकाय का गठन इसकी शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य, देवकों की आवृत्तियाँ तथा के लिए गणपूर्ति इसकी कार्यवाहियों के अभिलेखन की रीति तथा सामान्य निकाय के मामलों से संबंधित सभी अन्य विषयों को विहित करेगी।

(3) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति न्यूनतम बार सदस्यों के अध्यक्षीय मत के लिए एकदर तथा वैयक्तिक रूप में उपस्थित कुल सदस्यों का कम से कम वालीस प्रतिशत होगी।

(4) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा वह वैयक्तिक रूप में अपना मत डालेगा।

कॉलिजियम।

30. (1) तीन सौ से अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली सोसाइटी, जब तक यह धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) तथा धारा 51 की उप-धारा (2) के अनुसार दो या से अधिक सोसाइटियों में विभाजित नहीं की गई है या इसकी सदस्यता को पुनः अधिधारण या संशोधन करने का विकल्प देती है, इसकी उप-विधियों के अनुसार कम से कम एककीस तथा अधिक से अधिक तीन सौ सदस्यों से मिलकर बनने वाले कॉलिजियम का गठन करेगी। इस मामले में कॉलिजियम की स्थिति हर प्रकार से उसी रूप में होगी जो अधिक से अधिक तीन सौ सदस्यों को मिलाकर बनने वाली किसी सोसाइटी का सामान्य निकाय का रूप है।

(2) कॉलिजियम की अवधि तीन वर्ष से अनधिक होगी तथा कॉलिजियम के निर्वाचित सदस्य, बारी अनुसार, सामान्य निकाय का निर्वाचन करेंगे।

(3) सोसाइटी यथा विहित रीति में कॉलिजियम के लिए निर्वाचन करवाने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास कॉलिजियम के निर्वाचित सदस्यों की सूची दायर करेगी।

सामान्य निकाय या  
कॉलिजियम की  
बैठक

31. (1) सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, की वार्षिक साधारण बैठक जब कभी अपेक्षित हो आयोजित की जाएगी। तथापि, सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, की कम से कम एक बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आयोजित की जाएगी जिसमें सम्यक् रूप से लेखा-परीक्षित सोसाइटी के वार्षिक लेखे अपनाने के लिए सदस्यों के सम्मुख रखे जाएंगे।

(2) प्रत्येक बैठक का चौदह दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों को दिया जाएगा। साधारण बैठक के दौरान संव्यवहारित किये जाने वाले कारबार के साथ ऐसे नोटिस की प्रति जिला रजिस्ट्रार को भी पृष्ठांकित की जाएगी।



(3) नोटिस में बैठक की तिथि, समय, स्थान तथा उद्देश्य विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा यदि विशेष संकल्प के लिए अपेक्षित कोई एजेन्डा मद पर ऐसी बैठक में विचार किया जाना प्रस्तावित है, तो नोटिस में प्रत्येक ऐसे एजेन्डे की प्रति अन्तर्विष्ट होगी।

(4) जिला रजिस्ट्रार ऐसी साधारण बैठक में उपस्थित होने के लिए उसके अधीनस्थ अधिकारी या स्वावलम्बी पर्यवेक्षक को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

(5) सभी सदस्यों को सम्यक् नोटिस देने के बाद किसी समय वार्षिक साधारण बैठक के अतिरिक्त सामान्य निकाय या कॉलजियम, जैसी भी स्थिति हो, की असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

(6) शासकीय निकाय ऐसी बैठक बुलाने के लिए सामान्य निकाय या कॉलजियम, जैसी भी स्थिति हो, के कम से कम 1/10 सदस्यों से लिखित मांग की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर सामान्य निकाय या कॉलजियम, जैसी भी स्थिति हो, की असाधारण बैठक बुलाएगा। साधारण बैठक की मांग करने वाले नोटिस में प्रस्तावित एजेन्डे के साथ ऐसी बैठक के लिए कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(7) चौदह दिन का स्पष्ट नोटिस ऐसी बैठक की तिथि, समय, स्थान तथा संव्यवहारित किये जाने वाले कारबार को उसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सभी सदस्यों को सामान्य निकाय या कॉलजियम, जैसी भी स्थिति हो, की असाधारण बैठक के लिए दिया जाएगा। असाधारण साधारण बैठक के लिए नोटिस की प्रति जिला रजिस्ट्रार को भी पृष्ठांकित की जाएगी, जो ऐसी बैठक के दौरान उपस्थित रहने के लिए उसके अधीनस्थ अधिकारी या स्वावलम्बी पर्यवेक्षक को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

(8) यदि शासकीय निकाय उपरोक्त उपधारा (6) के अधीन ऐसी मांग पर सामान्य निकाय या कॉलजियम, जैसी भी स्थिति हो, की बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो जिला रजिस्ट्रार यथा निर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाने के लिए शासकीय निकाय को निर्देश दे सकता है।

(9) शासकीय निकाय उपरोक्त उपधारा (6) के अधीन आयोजित सामान्य निकाय या कॉलजियम, जैसी भी स्थिति हो, की बैठक की कार्यवाहियों की प्रति तीस दिन की अवधि के भीतर अधीनस्थ अधिकारी या पर्यवेक्षक, यदि ऐसी बैठक के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, द्वारा सम्यक् रूप से प्रति-हस्ताक्षरित हो, जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा। जहां कहीं ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या पर्यवेक्षक बैठक की कार्यवाहियों को अभिपुष्ट करता है, तो जिला रजिस्ट्रार उसे अभिलेख में लेगा।

(10) कोई भी असाधारण साधारण बैठक, सम्यक् रूप से आयोजित की गई नहीं समझी जाएगी। यदि सामान्य निकाय या कॉलजियम, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों को अपेक्षित नोटिस नहीं दिया गया है।

विद्यमान सोसाइटीयों के सामान्य निकाय/कॉलजियम का गठन।

32. (1) जहां तीन सौ सदस्यों से अधिक से मिलकर बनी सोसाइटी अधिनियम के लागू होने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत है, वहां यह निम्नलिखित के संबंध में सामान्य निकाय के निर्वाचन के लिए नियत तिथि से कम से कम छह मास पूर्व विशेष संकल्प के माध्यम से विचार करने तथा निर्णय करने के लिए अपने सदस्यों की बैठक बुलाएगी,—

- (i) सदस्यों की वर्तमान संख्या को बनाए रखने ; या
- (ii) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान या विशेष अतिरिक्त प्रभारों सहित संशोधित मापदण्ड के अंशदान द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों की संख्या अवधारित करने :

परन्तु यदि किसी ऐसे संशोधित मापदण्ड के लिए विकल्प देने वाले सदस्यों की संख्या तीन सौ से अधिक है, तो सदस्यता ड्रा ऑफ लाट्स द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(2) जहां शासकीय निकाय की अवधि अधिनियम के प्रारम्भ होने से छह मास की समाप्ति से पूर्व समाप्त हो रही है, वहां यह अधिनियम की प्रारम्भ की तिथि से छह मास तक बढ़ाई गई समझी जाएगी तथा सोसाइटी उपरोक्त खण्ड (i) या (ii) के अनुसार कार्यवाई करेगी।

(3) जहां सोसाइटी की सदस्यता तीन सौ से अधिक है, वहां शासकीय निकाय कॉलजियम के निर्वाचन को करवाने के लिए यथा विहित नियमों के अनुसार निर्वाचकगण के अवधारण की स्कीम तैयार करेगा तथा उसे इसकी उपविधियों के परिणामिक संशोधन सहित विशेष संकल्प के रूप में इसके सदस्यों के विचारण के लिए रखेगा।

(4) जहां सोसाइटी उपरोक्त उपधारा (2) के अधीन किसी स्कीम को अनुमोदित करने का निर्णय लेती है, वहां शासकीय निकाय जिला रजिस्ट्रार को उसके अनुमोदन के लिए संकल्प प्रस्तुत करेगा।

(5) जिला रजिस्ट्रार उपरोक्त उपधारा (3) के अधीन प्राप्त स्कीम की जांच करेगा तथा,—

- (i) उसका अनुमोदन करेगा तथा इसे अभिलेख में लेगा, यदि यथा विहित नियमों के अनुसार पाई जाती है; या
- (ii) ऐसे उपांतरण सुझाएगा, जिसे वह आवश्यक समझे, तथा सोसाइटी तदनुसार स्कीम पर विचार करेगी तथा संशोधित करेगी।

(6) जहां विद्यमान सोसाइटी का शासकीय निकाय सम्यक् रूप से निर्वाचित स्थिति में नहीं है तथा सोसाइटी के कार्यकलाप या तो तदर्थ निकाय के माध्यम से या इस निमित्त सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक के माध्यम से चलाए जा रहे हैं,—

- (i) ऐसा तदर्थ निकाय या प्रशासक शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए कदम उठाएगा, यदि इसकी सदस्यता विनिर्दिष्ट संख्याओं के भीतर है;

(ii) उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन निर्वाचकगण के अवधारण तथा कॉलिजियम के गठन या सदस्यों की संख्या के अवधारण के लिए स्कीम तैयार करेगा तथा जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा, जो इसकी जांच करेगा तथा सोसाइटी के सदस्यों की बैठक बुलाएगा तथा प्रस्तावित स्कीम को किन्हीं उपांतरणों सहित या के बिना उसे विचारण के लिए रखेगा।

(7) जहां सोसाइटी के सदस्य उपरोक्त उपधारा (6) के खण्ड (ii) के अधीन तैयार स्कीम किसी उपांतरण सहित या के बिना अनुमोदन के लिए निर्णय करते हैं, वहां जिला रजिस्ट्रार उसका अभिलेखन करेगा तथा उसका अनुमोदन करेगा। उसके बाद, सोसाइटी की उपविधियां उस सीमा तक उपांतरित की गई समझी जाएंगी।

(8) जहां सदस्यों की बैठक बुलाने के लिए तदर्थ निकाय या प्रशासक द्वारा संभाव्य नहीं पाया गया है या ऐसी बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या गणपूर्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वहां तदर्थ निकाय या प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, उपरोक्त उपधारा (6) के खण्ड (ii) के अधीन जिला रजिस्ट्रार को तैयार की गई कोई स्कीम प्रस्तुत करेगा जो उसे अपनी सिफारिशों सहित रजिस्ट्रार को भेजेगा तथा रजिस्ट्रार किन्हीं उपांतरणों सहित या के बिना स्कीम का अनुमोदन करेगा।

(9) रजिस्ट्रार द्वारा यथा अनुमोदित स्कीम सोसाइटी के खर्च पर सर्वजनिक सूचना के माध्यम से जनसाधारण के लिए अधिसूचित की जाएगी।

(10) तदर्थ निकाय या प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, शासकीय निकाय के निर्वाचन द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रथमतः कॉलिजियम के गठन के लिए कदम उठाएगा।

(11) इस धारा के अधीन सभी कार्यवाहियां संक्षिप्त रीति में संचालित की जाएंगी।

33. (1) सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों के कम शासकीय निकाय से कम तीन तथा अधिकतम 21 सदस्यों को मिलाकर बनने वाला शासकीय निकाय (किसी भी नाम से पुकारा जाए) का निर्वाचन करेंगे। पदाधिकारियों में उपविधियों के अधीन यथा विहित न्यूनतम के रूप में प्रधान, सचिव तथा कोषाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे।

(2) सोसाइटी यथा विहित रीति में शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के तीस दिन की अवधि के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची दायर करेगी।

(3) शासकीय निकाय की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। किसी पदाधिकारी के पुनर्निर्वाचन से संबंधित मामले उपविधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

(4) प्रत्येक सोसाइटी पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त या निर्वाचित व्यक्तियों के नाम, पते तथा व्यवसाय दर्शाते हुए रजिस्टर बनाएगी तथा जिला रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित दायर करेगी,—

(i) पदाधिकारियों की नियुक्ति या निर्वाचन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्टर की प्रति;

(ii) पदाधिकारियों में ऐसे परिवर्तन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रत्येक परिवर्तन की सूचना; तथा

(iii) नियमों के अधीन यथा विहित रीति में वार्षिक विवरणी के साथ पदाधिकारियों के ब्यौरे।

(5) प्रथम समय या उसके बाद के लिए नियुक्त या निर्वाचित शासकीय निकाय का गठन केवल जिला रजिस्ट्रार द्वारा उसके अनुमोदन पर मान्य होगा तथा इसकी पदावधि इसके अनुमोदन की तिथि से प्रारम्भ होगी।

पदाधिकारी, उनकी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य।

34. (1) उपविधियों में इसके पदाधिकारियों अर्थात् प्रधान, उपप्रधान, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादि के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट होंगे तथा उसमें शासकीय निकाय के अन्य सदस्यों के साथ उनकी एकल रूप से या संयुक्त रूप से उनकी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य विनिर्दिष्ट होंगे।

(2) पदाधिकारी उपविधियों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे तथा उपविधियों के अधीन प्राधिकार की अधिकता में प्रयोग की गई किन्हीं शक्तियों का ऐसा अनुमानित निर्णय प्रस्तुत करेगा।

पदाधिकारी की अयोग्यता।

35. कोई व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य होगा ज्यों ही वह सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं रहता है।

शासकीय निकाय की बैठक।

36. (1) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो आयोजित की जाएगी। तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करेगा तथा किन्हीं वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि, शासकीय निकाय, जहां कहीं ऐसा अपेक्षित हो, इसके सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत की सहमति से अल्प नोटिस पर बैठक बुला सकता है।

सामान्य निकाय या कॉलिजियम तथा शासकीय निकाय की बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख।

37. (1) सोसाइटी सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, की प्रत्येक बैठक तथा इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से अनुरक्षित कार्यवाही पुस्तिका में अपने शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेगी। ऐसे कार्यवृत्त बैठक के अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(2) यदि बैठक के कार्यवृत्त किसी कारण, जो भी हो, के लिए अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किए जाते हैं, तो शासकीय निकाय ऐसे कार्यवृत्तों को हस्ताक्षर करने के लिए किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है।

(3) शासकीय निकाय या सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त ऐसे निकाय की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

(4) शासकीय निकाय या सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अपनी किसी बैठक के दौरान पारित कोई संकल्प, जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के उपबन्धों से अनअसंगत है, अविधिमान्य होंगे।

(5) सोसाइटी या इसके किसी पदाधिकारी का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां सोसाइटी के संगठन में केवल किसी रिक्ति या त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य के रूप में नहीं समझी जाएंगी।

38. प्रत्येक सोसाइटी वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस सहित सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, के प्रत्येक सदस्य को लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ तुलन-पत्र या लेखा विवरण की प्रति तब तक नहीं देगी जब तक ये दस्तावेज सोसाइटी की वेबसाइट पर नहीं डाले गए हों।

तुलन-पत्र तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इत्यादि की प्रतियां जोड़ने का नोटिस।

## अध्याय VIII

### निर्वाचन

39. (1) प्रथम निर्वाचन कॉलिजियम, जहां लागू हो, के लिए अवधारित निर्वाचनगण निर्वाचन तथा विवादों में से उसके गठन के लिए तथा उसके बाद कॉलिजियम द्वारा शासकीय निकाय के लिए किया जायेगा। का निपटान।

(2) सोसाइटी के कॉलिजियम के निर्वाचन की प्रक्रिया जहां तक सम्भव हो, नियत तिथि से तीन मास पूर्व प्रारम्भ की जाएगी ताकि नया चयनित शासकीय निकाय नियत तिथि को या से पूर्व स्थान ले सके।

(3) सोसाइटी के निर्वाचन के दिन अधिसूचित किये गए हैं, तो शासकीय निकाय या तदर्थ निकाय या प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, मत के लिए हकदार सदस्यों की सूची प्रकाशित करवाएगा। सदस्यों की ऐसी सूची इसकी उपविधियों में सोसाइटी द्वारा यथा विहित ऐसी फीस के भुगतान पर सदस्य को मांग पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सदस्य के शामिल न करने या गलत शामिल करने के कारण उपरोक्त उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित सदस्यों की सूची से व्यथित है, तो सदस्यों की सूची के प्रकाशन की पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर चुनौती के विशिष्ट आधार व्यक्त करते हुए जिला रजिस्ट्रार के पास याचिका दायर कर सकता है/कर सकते हैं। जिला रजिस्ट्रार जहां सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है वहां अभिलिखित कारणों से सात दिन की विस्तारित अवधि के भीतर याचिका स्वीकार कर सकता है।

(5) जिला रजिस्ट्रार, यदि उसके पास किसी ऐसी याचिका के असली होने के सम्बन्ध में सन्देह के कारण हैं, तो उपरोक्त उपधारा (4) के किसी दुरुपयोग के विरुद्ध प्रतिभू के रूप में, यथाविहित, ऐसी राशि जमा करने के लिए याचिकादाताओं से अपेक्षा कर सकता है। याचिकादाताओं द्वारा जमा राशि तुरन्त वापस की जाएगी यदि याचिका सफल हो जाती है किन्तु यदि ऐसी याचिका बिना किसी गुणागुण के की गई पाई जाती है, तो जब्त किये जाने के लिए दायी होगी।

(6) जहां याचिका उपरोक्त उपधारा (4) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के समक्ष दायर की गई है, तो वहां जिला रजिस्ट्रार उपधारा (5) के अधीन निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने के बाद, तुरन्त आस्थगित निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित करेगा तथा स्वयं द्वारा या पात्र सदस्यों की सूची अवधारित करने के लिए इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए अग्रसर होगा।

(7) जिला रजिस्ट्रार, अपनी जांच के प्रयोजन के लिए, अपने कार्यालय में शासकीय निकाय द्वारा दायर सदस्यों की वार्षिक विवरणी निर्दिष्ट करेगा तथा सोसाइटी के किसी या सभी सुसंगत अभिलेखों का ध्यान रखेगा। जिला रजिस्ट्रार जांच करने के लिए अधिनियम के अध्याय XII के अधीन उसमें निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। कोई ऐसी जांच खुले में की जाएगी तथा संक्षिप्त रीति में पूरी की जाएगी।

(8) उपरोक्त उपधारा (6) के अधीन जांच के समापन पर, जिला रजिस्ट्रार मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची अवधारित करेगा, उसे सार्वजनिक करेगा तथा प्रस्ताव में निर्वाचन की प्रक्रिया नियत करेगा। जहां उपरोक्त उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित सदस्यों की प्रारम्भिक सूची जांच के दौरान दोषपूर्ण पाई जाती है, तो कॉलिजियम या शासकीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, का निर्वाचन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विवाद का निपटान करने के बाद उसके सीधे पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण के अधीन जिला रजिस्ट्रार द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(9) जहां शासकीय निकाय के निर्वाचन कॉलिजियम की अपेक्षा के बिना, शासकीय निकाय के सदस्यों द्वारा किये गए हैं, तो वहां शासकीय निकाय के सदस्यों की सूची के लिए कोई चुनौती उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट उसी रीति में जिला रजिस्ट्रार द्वारा निपटाई जाएगी।

(10) जहां शासकीय निकाय के निर्वाचन किसी भी कारण से नियत तिथि तक नहीं करवाए गए हैं, तो वहां जिला रजिस्ट्रार तदर्थ समिति गठित कर सकता है या नियत तिथि की समाप्ति पर, मध्यवर्ती अवधि के लिए तथा शासकीय निकाय के निर्वाचन आयोजित करने के लिए तुरन्त सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है।

(11) सोसाइटी कॉलिजियम या शासकीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के निर्वाचन आयोजित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी तथा/या पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए जिला रजिस्ट्रार को सिफारिश कर सकती है, जिस पर जिला रजिस्ट्रार शासकीय निकाय या तदर्थ समिति या प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी प्रार्थना की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी तथा/या पर्यवेक्षक की नियुक्ति के आदेश करेगा।

(12) जिला रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी सदस्यों की सूचना के लिए सोसाइटी के खर्च पर जहां सम्भव हो सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप में तामील नोटिस या सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस सुनिश्चित करेगा।

(13) रिटर्निंग अधिकारी तथा/या पर्यवेक्षक, जहां कहीं नियुक्त किये गये हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करेगा, तथा जिला रजिस्ट्रार को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिस पर सम्यक् रूप से निर्वाचित शासकीय निकाय सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रभार लेगा तथा किसी तदर्थ समिति या प्रशासक की नियुक्ति तुरन्त समाप्त हो जाएगी।

(14) जिला रजिस्ट्रार प्रशासक, रिटर्निंग अधिकारी, पर्यवेक्षक या तदर्थ समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति के लिए समय-समय पर विहित रीति में या दरों पर पारिश्रमिक या मानदेय नियत कर सकता है।

40. (1) रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार द्वारा या सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा उसको किये गये संदर्भ पर कॉलिजियम या शासकीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के किसी निर्वाचित सदस्य या किसी पदाधिकारी के पद के निर्वाचन या निरन्तरता के सम्बन्ध में कोई सन्देह या विवाद किसी संक्षिप्त रीति में सुन सकता है तथा विनिश्चित कर सकता है तथा उनके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे :

परन्तु कॉलिजियम के किन्हीं या सभी सदस्यों या शासकीय निकाय के पदाधिकारियों का निर्वाचन अपास्त किया जाएगा जहां रजिस्ट्रार की संतुष्टि हो गई है, -

- (i) कि ऐसे पदाधिकारी (पदाधिकारियों) द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; या
- (ii) कि किसी उम्मीदवार का नामनिर्देशन अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया है; या
- (iii) कि निर्वाचन का परिणाम जहां तक यह ऐसे पदाधिकारी से संबंधित है, जो किसी नामनिर्देशन की अनुचित स्वीकृति द्वारा या अनुचित प्राप्ति, इनकार या किसी मत के नामजूर होने पर या किसी मत की प्राप्ति द्वारा तात्त्विक रूप में प्रभावित हो गया है, जो शून्य है या किन्हीं उपविधियों के उपबन्धों की किसी अनुपालना द्वारा शून्य हो गया है।

**व्याख्या I.**—किसी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण किया गया समझा जायेगा जो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किया गया है -

- (i) किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने के लिए या देने से रोकने के लिए, या निर्वाचन में किसी व्यक्ति को खड़ा करने या खड़ा न होने या उम्मीदवार होने से पीछे हटने या न हटने के लिए किसी निर्वाचक को कपट, ज्ञानकृत मिथ्या निरूपण, हानि के लिए बल प्रयोग या धमकी से उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है;
- (ii) किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से रोकने के लिए किसी निर्वाचक को उत्प्रेरित करने की दृष्टि से, या निर्वाचन में किसी व्यक्ति को खड़ा होने या खड़ा न होने के लिए या उम्मीदवार होने से पीछे हटने या न हटने

के लिए, किसी व्यक्ति को किसी धन, या मूल्यवान प्रतिफल, या कोई नौकरी या रोजगार का प्रस्ताव करने या देने, या व्यक्तिगत फायदा या लाभ का कोई वादा करने का कोई प्रस्ताव करता है;

- (iii) खण्ड (i) तथा (ii) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कार्यों को करने के लिए उकसाना ;
- (iv) उम्मीदवार या निर्वाचक को विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना कि वह, या कोई व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध है, दिव्य इच्छा या आध्यात्मिक निन्दा का भाजन बन जाएगा या हो जाएगा;
- (v) जाति, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म के आधार पर वोट मांगना;
- (vi) ऐसा अन्य आचरण करना जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट आचरण के रूप में विहित करे।

**व्याख्या II.**— किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत फायदा या लाभ का वादा करना जिसमें स्वयं व्यक्ति, या किसी अन्य व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध है के लाभ के लिए वादा शामिल है।

(2) सरकार ऐसे निर्वाचनों के संबंध में संदेह या विवादों की सुनवाई तथा विनिश्चय करने के लिये तथा ऐसे निर्वाचनों से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में उपबन्ध करने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी जिसके लिए अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में विद्यमान उपबन्ध अपर्याप्त है।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश द्वारा, कॉलिजियम या शासकीय निकाय का निर्वाचन अपास्त किया गया है या पदाधिकारी पद में लम्बे समय तक बने रहने के लिए हकदार नहीं है या जहां रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि हो गई है कि सोसाइटी के पदाधिकारियों का कोई निर्वाचन समय के भीतर तथा उपविधियों के अनुसार नहीं करवाया गया है, तो वह ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए शासकीय निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, की बैठक बुलाएगा, तथा ऐसी बैठक की जिला रजिस्ट्रार द्वारा या इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी, तथा संचालित की जाएगी, तथा बैठकों तथा निर्वाचनों से संबंधित उपविधियों के उपबन्ध आवश्यक रूपान्तरणों सहित ऐसी बैठक तथा निर्वाचन को लागू होंगे।

(4) जहां शासकीय निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, की बैठक उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेशों पर बुलाई गई है, तो वहां कोई भी अन्य बैठक किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा या सोसाइटी के पदाधिकारी के रूप में दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नहीं बुलाई जायेगी।

### अध्याय IX

#### सोसाइटियों की सम्पत्ति तथा विधियां

चल तथा अचल  
सम्पत्ति का अर्जन।

41. अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अपने नाम से अपनी उपविधियों के अनुसार विधिक स्रोतों से प्राप्त अपनी विधियों या दानों या अनुदानों या ऋणों में से पूर्ण स्वामित्व या पट्टा आधार पर चल या अचल संपत्ति अर्जित करेगी।



42. सोसाइटी से सम्बन्धित चल या अचल सभी संपत्ति चाहे वह इसके रजिस्ट्रीकरण से पूर्व या बाद में अर्जित की गई है, यदि न्यासियों में निहित नहीं है, तो वह सोसाइटी में निहित होगी, तथा कोई ऐसी सम्पत्ति किसी विधिक कार्यवाहियों में ऐसी सोसाइटी की सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी: सम्पत्ति कैसे निहित होगी।

परन्तु यदि कोई सोसाइटी हरियाणा कक्ष-समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 10) के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत है, किसी परिभाषित क्षेत्र के निवासियों या नागरिक सुख-सुविधाओं के लिए सुविधाओं के परिचालन, प्रबन्धन तथा रख-रखाव के लिए किसी सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई आवासन सोसाइटी या निवास कल्याण संघ है, तो सम्पत्ति सदस्यों या उनके हितउत्तराधिकारियों में निहित हो जाएगी जिन्होंने ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए अंशदान किया है।

43. जहां सोसाइटी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था से किसी अन्य प्रकार के धन या संपत्ति का उपहार या दान स्वीकृत करती है, तो यह केवल प्रयोजन जिसके लिए यह इस प्रकार उपहार या दान की गई है, के लिए उपहार या दान किए गए धन या ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का प्रयोग करेगी तथा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करेगी। उपहार के निबन्धन।

44. (1) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी निम्नलिखित शर्तों के अधधीन इसकी किन्हीं अचल संपत्तियों को बेचने, अन्तरित या अन्यसंक्रामित करने में सक्षम होगी :- अचल संपत्ति के विक्रय या अंतरण पर प्रतिबन्ध।

(क) यदि अचल संपत्ति सरकार या इसके किसी परिकरण या नगरपालिका निकाय या ग्राम पंचायत या किसी अन्य ऐसे प्राधिकरण से सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा से अर्जित की गई है ;

(ख) यदि अचल संपत्ति ऐसे दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की पूर्व अनुज्ञा के अधधीन, तथा यदि दाता जीवित नहीं है तथा उसने कोई ऐसा प्राधिकृत प्रतिनिधि नहीं छोड़ा है, तो रजिस्ट्रार की पूर्व अनुज्ञा से ऐसी शर्तों के अनुसार किसी स्रोत से सशर्त उपहार या सशर्त दान द्वारा अर्जित की गई है ;

(ग) कोई अन्य अचल संपत्ति जो विशेष संकल्प के माध्यम से सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, की पूर्व अनुज्ञा से सोसाइटी द्वारा इसके अपने स्रोतों या निधियों या ऋणों से अर्जित की गई है।

(2) शासकीय निकाय किसी ऐसी अचल परिसंपत्ति के निपटान से पूर्व आरक्षित कीमत निर्धारित करेगा, जो लागू कलक्टर दरों से कम नहीं होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अवमूल्यन प्रतिफल पर बेची या अन्तरित नहीं की गई है।

(3) सोसाइटी की किसी अचल संपत्ति के अन्तरण या विक्रय से प्राप्त आगम जहां कहीं इस धारा में दिए गए उपबन्धों के अनुसार संचालित किए गए हैं, तुरन्त सोसाइटी के खाते में जमा करवाए जाएंगे।

(4) जहां शासकीय निकाय का कोई पदाधिकारी उपरोक्त उपधारा (1), (2) तथा (3) में दिए गए उपबन्धों के उल्लंघन में लिप्त हैं, तो जिला रजिस्ट्रार निम्नलिखित कारवाइयों में से कोई या सभी करने में सक्षम होगा,—

- (i) जहां प्रतिफल की राशि तीन कार्यदिवसों के भीतर सोसाइटी के खाते में जमा नहीं करवाई जाती है, तो ऐसे पदाधिकारी को ऐसी अवधि जिसके लिए ये उसके कब्जे में रहती है, उसकी अपनी जेब से चौबीस प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान के निदेश दे सकता है किन्तु ऐसी अवधि किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक नहीं होगी;
- (ii) जहां अचल परिसंपत्ति अवमूल्यन कीमत पर बेची या अन्तरित की गई है, तो चूक करने वाले पदाधिकारी से कलक्टर दर के आधार पर निर्धारित अन्तर को वसूल करेगा तथा उसे सोसाइटी के खाते में जमा करवाएगा ;
- (iii) जहां अचल परिसंपत्ति का उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञा के बिना या उस पर लागू शर्तों का अनुपालन किए बिना निपटान किया गया है,

सम्बद्ध पदाधिकारियों से कलक्टर दर के आधार पर यथा निर्धारित किसी अतिरिक्त राशि सहित, राशि वसूल करेगा तथा उसे आबंटन प्राधिकारी के पास जमा करवाएगा।

(5) जहां किसी राशि की वसूली उपरोक्त उपधारा (4) के लागूकरण के अनुक्रम में किसी व्यक्ति से आवेष्टित है तथा सम्बद्ध व्यक्ति अनुज्ञात अवधि के भीतर उक्त राशि जमा नहीं करवाते हैं, तो जिला रजिस्ट्रार ऐसी राशि को भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने हेतु सक्षम होगा।

(6) उपरोक्त उपधारा (4) तथा (5) के अधीन कार्रवाई के अतिरिक्त तथा उल्लंघन की गम्भीरता पर निर्भर करते हुए, जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित के लिए भी सिफारिश कर सकता है,—

- (i) चूक करने वाले व्यक्ति को सोसाइटी के पद से हटाने तथा भविष्य में ऐसे व्यक्ति को कोई पद धारण करने से बहिष्कृत करने या सदस्यता से हटाने ;
- (ii) शासकीय निकाय का अधिकमण तथा सोसाइटी के कार्य-कलापों का प्रबन्धन करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति करने ; तथा
- (iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकरण करने।

(7) रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार की सिफारिशों पर सूचना प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर समुचित कार्रवाई करेगा।

(8) इस धारा के अधीन कोई भी बात पदाधिकारी को आपराधिक कार्रवाई से विमुक्त नहीं करेगी।

निधियों का निवेश।

45. प्रत्येक सोसाइटी, ऐसी सीमा तक, तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो समय-समय पर इसकी उपविधियों के अधीन अनुमत की जाएं, अपनी निधियों के किसी भाग जो तुरन्त आवश्यक न हो, को निम्नलिखित में निवेश या निक्षेप कर सकती है—

- (i) अचल संपत्तियों में ; या
- (ii) सरकार की प्रतिभूतियों में या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों में या भारत सरकार की अन्य प्रतिभूतियों में;
- (iii) डाकघर बचत बैंक खाते में; या
- (iv) सोसाइटी द्वारा प्रयोजन के लिए खोले गए निम्नलिखित के विशेष खाते में—
  - (क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा प्राधिकृत या अधिसूचित अनुसूचित बैंक; या
  - (ख) राज्य में स्थित सहकारी बैंक या निवेश के ऐसे अन्य ढंग में जो विहित किया जाए।

निधियों का लागूकरण।

46. (1) सोसाइटी को अपनी उपविधियों के अधीन या अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए अपनी निधियों में से ऐसी राशियां जो यह ठीक समझें, खर्च करने की शक्ति होगी।

(2) निधियों में से कोई भी भुगतान प्रधान, उप-प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष या किसी अन्य पदाधिकारी को मानदेय या पारिश्रमिक के रूप में नहीं किया जाएगा :

परन्तु पदाधिकारियों जब वे सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में यात्रा पर हों, के भोजन व्यवस्था/आवास तथा यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर उपगत कोई खर्च विवेकपूर्ण वित्तीय मानदण्डों का अनुपालन करते हुए अनुज्ञेय होंगे।

(3) उपरोक्त विहित निर्बन्धनों के होते हुए भी, सोसाइटी इसके पूर्णकालिक या अंशकालिक नियोजन में व्यक्तियों को ऐसे पारिश्रमिक, वेतन या मानदेय जो यह निर्धारित करे, भुगतान कर सकती है:

परन्तु कोई भी सदस्य सोसाइटी के नियोजन में नहीं होगा।

## अध्याय X

## लेखे, लेखापरीक्षा, दस्तावेजों को दायर करना

लेखा पुस्तकें।

47. (1) प्रत्येक सोसाइटी अपने मुख्यालय पर आयकर विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा पुस्तकें अर्थात् रोकड़ बही, बही-खाते इत्यादि या चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट संस्था द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार पुस्तकें रखेगी या निम्नलिखित के संबंध में यथा विहित रखेगी,—

(i) सोसाइटी द्वारा प्राप्त की गई तथा व्यय की गई सभी धन राशियों; तथा

(ii) सोसाइटी की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों।

(2) लेखा पुस्तकें, कार्य समय के दौरान महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।

लेखा-परीक्षा।

48. (1) प्रत्येक सोसाइटी लेखा-परीक्षक जो चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस संस्था का सदस्य है, से इसके वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा करवाएगी।

(2) लेखा-परीक्षक शासकीय निकाय का सदस्य या किसी पदाधिकारी के परिवार का सदस्य नहीं होगा।

लेखों का सत्यापन।

49. लेखों, विवरणियां तथा रजिस्टर शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत कम-से-कम दो पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित तथा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

वार्षिक तथा अन्य विवरणियां।

50. (1) प्रत्येक सोसाइटी वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने के तीस दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास विहित प्ररूप में निम्नलिखित विवरणियां दायर करेगी,—

(i) गत वर्ष के दौरान पृथक् रूप से विलोपन और परिवर्धन दर्शाते हुए वर्ष की 31 मार्च को प्रधान तथा सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित सदस्यों की सूची ;

(ii) गत वर्ष के दौरान पृथक् रूप से विलोपन और परिवर्धन दर्शाते हुए वर्ष के 31 मार्च को निर्वाचकगण की सूची सहित प्रधान तथा सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित कॉलिजियम के सदस्यों की सूची ;

(iii) गत वर्ष के दौरान पृथक् रूप से विलोपन तथा परिवर्धन, यदि कोई हों, दर्शाते हुए पदाधिकारियों के नाम, पते तथा व्यवसायों सहित सूची ;

(iv) प्रधान तथा सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित शासकीय निकाय द्वारा सोसाइटी के कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट ;

- (v) लेखा-परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तुलन-पत्र, प्राप्त व्यय विवरण तथा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट प्रत्येक की एक प्रति; तथा
- (vi) जब कभी विशेष संकल्प पास किया हो, की प्रति।

(2) उपरोक्त यथावर्णित वार्षिक विवरणियों के दायर न करने पर बढ़ाई गई अवधि में जुमाने तथा तत्पश्चात् ऐसी शास्ति जो विहित की जाए से दण्डनीय होगा।

### अध्याय XI

#### समामेलन तथा विभाजन

51. (1) कोई दो या अधिक सोसाइटियां एक दूसरे के साथ समामेलन के लिए संकल्प पारित करने के बाद, रजिस्ट्रार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विहित प्ररूप में संकल्पों की प्रतियों सहित आवेदन करेंगी तथा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एक सोसाइटी के रूप में इकट्ठी समामेलित हो जाएंगी।

सोसाइटियों का समामेलन तथा विभाजन।

(2) कोई सोसाइटी, सोसाइटी के विभाजन के लिए विशेष संकल्प पारित करने के बाद, रजिस्ट्रार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संकल्प की प्रति सहित विहित प्ररूप में आवेदन करेंगी तथा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विभाजित हो जाएंगी। संकल्प में नई सोसाइटियों के बीच सोसाइटी की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के विभाजन के लिए, विभाजित सोसाइटियों के साथ मूल सोसाइटी, यदि कोई हों, के संबंध के प्रस्ताव अन्तर्विष्ट होंगे तथा परिचालन के क्षेत्र तथा सदस्य जो प्रत्येक नई सोसाइटी को गठित करते हैं, को विनिर्दिष्ट करेगी :

परन्तु विभाजन से पूर्व, सोसाइटी सभी दावों या दायित्वों का निपटारा करेगी या परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों को सोसाइटियों के बीच यथानुपात आधार पर विभाजित करेगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सोसाइटी का कोई भी समामेलन या विभाजन, जैसी भी स्थिति हो, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि नई सोसाइटी या सोसाइटियां सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाती हैं।

(4) नई समामेलित सोसाइटी या विभाजित सोसाइटियां, जैसी भी स्थिति हो, के रजिस्ट्रीकरण पर, मूल रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या सोसाइटियों की परिसम्पत्तियां तथा दायित्व इस धारा के उपबन्धों के अधधीन, विशेष संकल्प में विनिर्दिष्ट रीति में नई सोसाइटी या सोसाइटियों की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के रूप में अंतरित हो जाएंगे तथा बन जाएंगे।

### अध्याय XII

#### शासकीय निकाय की जांच तथा अधिक्रमण

52. (1) महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा ऐसे समय के भीतर जो ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह से कम न हो, आदेश में यथा विहित ऐसी सूचना या दस्तावेज या स्पष्टीकरण लिखित में किसी सोसाइटी से प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

सूचना या स्पष्टीकरण मांगने की शक्तियां।

(2) आदेश की प्राप्ति पर सोसाइटी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सूचना या दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

अभिलेख इत्यादि  
जब्त करने की  
शक्तियाँ।

53. (1) जहाँ महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार की संतुष्टि हो जाती है कि, --

- (i) अभिलेख, रजिस्टर या लेखा पुस्तिकों में फेर-बदल या नष्ट होना संभाव्य है तथा निधियों तथा संपत्ति का दुरुपयोग या दुष्प्रयोग होना संभाव्य है; या
- (ii) शासकीय निकाय साधारण बैठक में पुनर्गठित किया जाता है तथा शासकीय निकाय के पदारोही सदस्य सोसाइटी के अभिलेख तथा संपत्ति का प्रभार उन्हें सौंपने से जो ऐसा प्रभार प्राप्त करने के हकदार हैं, इनकार करते हैं; या
- (iii) पदाधिकारी, जहाँ शासकीय निकाय के निर्वाचन नियत तिथि तक आयोजित नहीं करवाए गये हैं, ऐसे दस्तावेजों, निधियों, अभिलेख का दुरुपयोग करना संभाव्य है या अंतरिम कार्रवाई के रूप में सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए तदर्थ समिति या नियुक्त प्रशासक को अभिलेख को सौंपने में अनिच्छुक है,

तो वह ऐसे दस्तावेजों, निधियों, अभिलेख तथा संपत्ति को जब्त करने तथा कब्जा लेने के लिए लिखित में उस द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देते हुए आदेश जारी कर सकता है तथा तत्पश्चात् पदाधिकारी जो ऐसे दस्तावेजों, अभिलेख, निधियों तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है उनको इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश की अनुपालना निश्चित करने के लिए, जिला रजिस्ट्रार ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा तथा पुलिस बल सहित ऐसा कम से कम बल जो वह आवश्यक समझे, प्रयोग करेगा या करवाएगा।

जांच करने की  
शक्ति।

54. (1) जहाँ अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्राप्त या एकत्रित की गई सूचना पर या पदाधिकारियों के बहुमत के आवेदन पर या सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के आवेदन पर, या यदि इस प्रकार जिला कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया हो, महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार की राय है कि सोसाइटी के कार्यकलाप इस प्रकार संचालित किए जाते हैं कि वे सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को निष्फल कर रहे हैं या इसका शासकीय निकाय कार्यकलापों के कुप्रबन्धन या विश्वास संबंधी किसी उल्लंघन का या उसी प्रकार की अन्य बाध्यताओं या इसके ऋणदाताओं से धोखे का दोषी है, तो वह या तो स्वयं या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के कार्यकलापों की जांच करवा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार को आवेदन या सन्दर्भ ऐसे साक्ष्य के साथ समर्थित किया जाएगा जो वह प्रयोजन को दर्शाने के लिए अपेक्षा करे कि आवेदक के पास जांच के लिए आवेदन करने के पर्याप्त कारण हैं।

(3) जिला रजिस्ट्रार आवेदकों से जांच के आदेश करने से पूर्व प्रस्तावित जांच की लागतों के लिए ऐसी प्रतिभूति जो वह ठीक समझे, प्रस्तुत करने की मांग सकता है।

(4) जांच के सभी आनुषंगिक या प्रारम्भिक व्यय, जहां जांच आयोजित की जाती है—

(क) आवेदन पर, आवेदक द्वारा या सोसाइटी या सोसाइटी के सदस्यों की परिसम्पत्तियों में से ऐसे अनुपात में जो जिला रजिस्ट्रार द्वारा लिखित में निदेश किया जाए अदायगी करेगा; तथा

(ख) जिला कलक्टर या सरकार या जिला रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से संदर्भ पर सोसाइटी की परिसम्पत्तियों में से अदायगी की जाएगी तथा भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली-योग्य होंगे।

(5) जांच करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त समय पर सभी दस्तावेजों पर अबाध पहुंच होगी तथा किसी पदाधिकारी या अधिकारी को ऐसे किन्हीं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने की शक्ति होगी, जैसा वह निदेश करे।

(6) ऐसे सभी पदाधिकारियों या अधिकारियों जो पद धारण किए हुए या कर रहे हैं, का कर्तव्य होगा कि वे जांच अधिकारी को सभी सूचना तथा दस्तावेज जो उनके कब्जे में हैं, प्रस्तुत करें।

(7) जांच आयोजित करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है तथा शपथ पर पूछताछ कर सकता है जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह सोसाइटी के किन्हीं कार्यकलापों का ज्ञान रखता है तथा उससे सम्बन्धित या उसकी अभिरक्षा में रखी गई किन्हीं लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है, यदि जांच करने वाले अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों में सोसाइटी के संव्यवहारों से सम्बन्धित कोई प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट हैं।

(8) जांच करने वाला व्यक्ति, यदि उसकी राय में जांच के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है, किन्हीं या सभी दस्तावेजों को जब्त कर सकता है :

परन्तु कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से ऐसे दस्तावेज जब्त किए जाते हैं उसकी रसीद प्राप्त करने तथा उसकी प्रतियां करने का हकदार होगा।

(9) यदि जांच जिला रजिस्ट्रार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह रिपोर्ट जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा तथा जिला रजिस्ट्रार अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजेगा। यदि जांच स्वयं जिला रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है, वह अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट रजिस्ट्रार को अग्रप्रेषित करेगा।

(10) जांच रिपोर्ट सोसाइटी तथा आवेदक, यदि कोई हों, को संसूचित की जाएगी।

जांच रिपोर्ट पर  
कार्रवाई।

55. (1) रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार की सिफारिशों, यदि कोई हो, सहित जांच रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा निम्नलिखित में से कोई कदम उठाएगा,—

(i) जहां शासकीय निकाय द्वारा कोई भी अनियमितताएं, जो प्रक्रियात्मक या तात्त्विक स्वरूप की नहीं पाई जाती हैं, तो वह सोसाइटी या शिकायतकर्ता, यदि कोई हों, को उसकी सूचना सहित जांच बंद करने के आदेश करेगा; या

(ii) जहां सोसाइटी द्वारा की गई अनियमितताएं या उल्लंघन प्रक्रियात्मक स्वरूप की पाई जाती हैं जो सुधारे जाने योग्य हैं, वह सोसाइटी को ऐसे समय के भीतर ऐसे शोधक उपायों का सहारा लेने के लिए कहेगा, जैसे वह निदेश करे :

परन्तु जहां सोसाइटी निदेशों को कार्यान्वित करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु अपनी सिफारिशों सहित मामला महारजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा ; या

(iii) जहां सोसाइटी द्वारा की गई अनियमितताएं या उल्लंघन गम्भीर या तात्त्विक स्वरूप (अर्थात् सदस्यता, वित्तीय कुप्रबन्धन या वित्तीय अनियमितताओं या हेराफेरी या सोसाइटी के उद्देश्यों के हनन से संबंधित) पाए जाते हैं, तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशों सहित मामला महारजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा ; या

(iv) न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई अन्य उचित आदेश पारित करेगा।

शासकीय निकाय का  
अधिक्रमण तथा  
प्रशासक की  
नियुक्ति।

56. (1) रजिस्ट्रार की रिपोर्ट या सिफारिशों की प्राप्ति पर, यदि महारजिस्ट्रार की राय है कि शासकीय निकाय के अधिक्रमण का मामला बनता है, वह इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा तथा सोसाइटी की प्रतिक्रिया पर विचार करेगा तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, यदि इस प्रकार अनुरोध किया जाता है।

(2) महारजिस्ट्रार जवाब पर विचार करने के बाद, आदेश पारित करेगा तथा ऐसे निदेशों के साथ जो वह उचित समझे, सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबन्धन के लिए प्रशासक की नियुक्ति करेगा। महारजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त पारित आदेश अन्तिम तथा पूर्ण होंगे।

(3) प्रशासक, सरकारी सेवा या किसी कानूनी प्राधिकरण का श्रेणी-I या समकक्ष पदवी का अधिकारी या ऐसा व्यक्ति जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण से श्रेणी-I या उसके समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हुआ हो, होगा।



(4) जहां सेवानिवृत्त व्यक्ति प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, महारजिस्ट्रार विहित दरों पर उसकी नियुक्ति के अनुक्रम के दौरान प्रशासक को अदा किए जाने वाले मानदेय या पारिश्रमिक भी नियत कर सकता है तथा सोसाइटी की निधियों में से अदा किए जाने वाले ऐसे व्यय के निदेश दे सकता है।

(5) प्रशासक उपरोक्त उपधारा (3) के अधीन ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है जो प्रथम बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु जिसकी पदावधि ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जो आवश्यक समझे, ऐसी अवधि के अध्यक्षीन जो कुल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(6) प्रशासक की नियुक्ति पर, शासकीय निकाय अधिनियम या उपविधियों के अधीन इनको प्रदत्त अथवा अधिरोपित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा किन्हीं कृत्यों का पालन या कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। प्रशासक महारजिस्ट्रार से किन्हीं निदेशनों के अध्यक्षीन, शासकीय निकाय की सभी शक्तियों का प्रयोग तथा उपविधियों में यथा उपबंधित उसकी नियुक्ति के अनुक्रम के दौरान सभी ऐसे कृत्यों या कर्तव्यों का पालन करेगा।

(7) प्रशासक, अपनी अवधि की समाप्ति से पूर्व, यदि ऐसा अपेक्षित हो, कॉलिजियम या शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(8) यदि प्रशासक, अपने नियंत्रण से बाहर कारणों के लिये कॉलिजियम का निर्वाचन करवाने में योग्य नहीं है या सामान्य निकाय की बैठक बुलाने में असफल रहता है, जैसी भी स्थिति हो, या ऐसी बैठक बुलाने के बावजूद, सामान्य निकाय या कॉलिजियम, जैसी भी स्थिति हो, शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने में असफल रहता है, तो प्रशासक तत्काल महारजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगा, जो ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो समीचीन समझा जाए, चाहे और अवधि के लिए प्रशासक की नियुक्ति की पदावधि बढ़ानी हो या, यदि संतुष्टि हो जाती है कि लोकहित में, सोसाइटी के विघटन की, इस प्रकार की आवश्यकता है।

(9) महारजिस्ट्रार, यदि वह उचित समझता है, अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रशासक को सलाह देने तथा सहायता करने के लिए समिति नियुक्त कर सकता है। समिति के सदस्य ऐसी अर्हताएं रखेंगे, जो विहित की जाए तथा महारजिस्ट्रार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(10) जहां विघटन का आदेश पारित किया जाता है, आगे कार्रवाई अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

### अध्याय XIII

#### निलम्बन, रद्दकरण तथा विघटन

57. (1) जिला रजिस्ट्रार यदि उसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि सोसाइटी निष्क्रिय है तथा कारबार या परिचालन नहीं कर रही है, वह ऐसी सोसाइटी को यह जांच करने के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

निष्क्रिय सोसाइटियों को हटाना तथा उनके रजिस्ट्रीकरण रद्द करना।

करेगा, क्या सोसाइटी अपना कारबार या परिचालन कर रही है तथा नोटिस जारी करने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसे दस्तावेज़ या विवरणों का पथ करने के लिए उन्को निदेश देगा।

(2) जहाँ निष्क्रिय सोसाइटी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे नोटिस का उत्तर देती है तथा सबूत सहित अपेक्षित दस्तावेज़ों या सूचनाओं को प्रस्तुत करती है कि यह कारबार या परिचालन चला रहा है जिला रजिस्ट्रार अभिलेखों के सम्यक् स्थापन के बाद समुचित आदेश पारित करेगा।

(3) यदि जिला रजिस्ट्रार एक निष्क्रिय सोसाइटी से जवाब प्राप्त करता है कि यह कारबार या परिचालन नहीं कर रही है, तो वह सोसाइटी को इसके सामान्य निकाय की बैठक बुलाने का निदेश दे सकता है तथा इसके सभी दायित्वों का पथ करने के बाद इसके विघटन के लिए विशेष संकल्प पारित करेगा तथा उसके बाद सोसाइटी के विघटन के लिए आवेदन, उस पर यह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे निर्देशों का करने के लिए ऐसी सोसाइटी पदस्थ होगी।

(4) जहाँ जिला रजिस्ट्रार को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता, तो जारी किए जाने वाली सार्वजनिक सूचना में बताया कि ऐसी अवधि की समाप्ति पर जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी निष्क्रिय सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण निलम्बित कर दिया जाएगा।

(5) यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी निष्क्रिय सोसाइटी, इसके सदस्य या दावेदार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो जिला रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन आदेश तथा ऐसे आदेश के पारित होने के बाद, सोसाइटी कोई कारबार करने में सक्षम नहीं होगी।

(6) उपधारा (5) के अधीन सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन का आदेश जन-साधारण के लिए सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

(7) निलम्बित की गई दायित्व सोसाइटी, सदस्य, उसका ऋणदाता या दावेदार निलम्बन के आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर, जिला रजिस्ट्रार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(8) जिला रजिस्ट्रार के सुन्तष्ट होने पर कि उसके निलम्बन के समय पर सोसाइटी कारबार या परिचालन चला रही थी या अन्यथा तथा यह न्यायपूर्ण तथा उचित है कि सोसाइटी का नाम रजिस्ट्रार में पुनः रखा जाएगा, निलम्बन रद्द किया जा सकता है।

(9) सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया गया है उसे निरंतरता में अस्तित्व में रखा गया समझा जायेगा मानो कि इसका रजिस्ट्रीकरण निलम्बित ही नहीं किया गया था।

(10) कोई दावा, जो भी हो, किसी सोसाइटी के विरुद्ध इसके रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन की तिथि से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर निलम्बित किया गया हो, वैद्य तथा विचार में नहीं लाया जाएगा।

(11) यदि निलम्बन आदेश के विरुद्ध कोई भी प्रतिवेदन रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो जिला रजिस्ट्रार उक्त तक दर्शाना विपरीत है, रजिस्टर से सोसाइटी का नाम काट देगा तथा उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर देगा।

58. सोसाइटी, जिसके लेखे में कोई परिसम्पत्ति या दायित्व नहीं है तथा उगाने का कारबार या परिचालन करने की इच्छुक नहीं है, जिला रजिस्ट्रार को इसका रजिस्ट्रीकरण रद्द करवाने के लिए विशेष संकल्प पारित करने के बाद आवेदन कर सकती है तथा जिला रजिस्ट्रार आक्षेप आमंत्रित करने के कम से कम नब्बे दिन की सार्वजनिक सूचना देने के बाद, आक्षेप, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद सोसाइटी के रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाएगा।

59. (1) रजिस्ट्रार, यदि वह सन्तुष्ट हो जाता है,—

- (i) कि सोसाइटी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है या
- (ii) कि सोसाइटी दिवालिया है, या आवश्यक रूप से ऐसी हो जायगी या
- (iii) कि किसी ऐसी सोसाइटी का कारबार इसकी उपविधियों या इसके अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुसार नहीं है या कपटपूर्वक किया गया है ; या
- (iv) कि यह अपने परिसरों में गैर-कानूनी गतिविधियां चला रही है तथा इसके नियंत्रण के अधीन चलाई जाने वाले गैर-कानूनी गतिविधियों को अनुमति दे रही हैं,

जिला रजिस्ट्रार या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली जांच के आदेश कर सकता है।

(2) जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार प्रस्तावित रद्दकरण के संक्षिप्त आधार विनिर्दिष्ट करते हुए सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस दे सकता है। आक्षेपों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना सोसाइटी को अवसर देने के बाद प्रकाशित भी की जायगी तथा आक्षेपों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण क्यों न रद्द किया जाए! सोसाइटी तथा जनता द्वारा दायर आक्षेपों पर विचार करने के बाद रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकता है।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, गतिविधि गैरकानूनी समझी जायगी यदि ऐसा गतिविधि तत्समय लागू विधि के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय अपराध हो।

रद्दकरण का प्रभाव .

60. जब सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाता है, सोसाइटी अपने कार्यकलापों के लाभकारी परिसमापन करने के लिए जहां तक यह अपेक्षित हो के सिवाय अपना कारबार तुरन्त समाप्त कर देगी, प्रयोजन जिनके लिए यह विशेष संकल्प पारित करेगी तथा अधिनियम में यथा उपबंधित रीति में स्वयं को विघटित करेगी :

परन्तु पदाधिकारी का दायित्व बना रहेगा तथा इस प्रकार लागू रहेगा मानो सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द नहीं किया गया हो।

रजिस्ट्रार द्वारा  
निर्देशों पर विघटन .

61. (1) जहां सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है, जिला रजिस्ट्रार .

(i) सोसाइटी को इसके विघटन की प्रक्रिया को पूरा करने अर्थात् विशेष संकल्प पारित करने, इसके सभी प्राप्यों का संग्रहण करने, तथा इसके सभी दायित्वों का निपटारा करने, दायित्वों के स्थिरीकरण के बाद छोड़ी गई इसकी किन्हीं परिसम्पत्तियों के ब्यौरे उपलब्ध करवाने, तथा समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों वाली विद्यमान किसी अन्य सोसाइटी को छोड़ी गई इसकी परिसम्पत्तियों के अन्तरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश करेगा,

(ii) किसी सोसाइटी के प्रत्यय-पत्रों का निर्धारण करना जिसको उपरोक्त खण्ड (i) के अधीन सोसाइटी द्वारा किन्हीं ऐसी परिसम्पत्तियों का अन्तरण किया जाना प्रस्तावित है तथा या जो ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा या सोसाइटी को जिला कलक्टर के निपटान हेतु ऐसी परिसम्पत्तियों को रखने के निदेश करेगा ;

(iii) जहां कहीं उपरोक्त (i) के अधीन निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय निकाय या सामान्य निकाय नहीं है, सोसाइटी के विघटन की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी सोसाइटी के सदस्यों की समिति गठित करेगा ;

(iv) जहां ऐसी सोसाइटी के सदस्यों की कोई समिति गठित करने में साध्य नहीं पाया जाता है, तो अपने स्तर पर सोसाइटी के कार्यकलापों के विघटन को पूरा करने के लिए स्वयं या अपने अधीनस्थों की नियुक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षित कार्यवाही करवाने में सक्षम होगा। वह प्रयोजन के लिए विद्यमान किसी अन्य सोसाइटी से किन्हीं दो सदस्यों को सहयुक्त करेगा।

(2) यदि विघटन पर तथा सभी दायित्वों के निपटान के बाद, सोसाइटी कोई चल या अचल परिसम्पत्तियां छोड़ती है, तो जिला रजिस्ट्रार, प्रथमतः, उचित रसीद के विरुद्ध परिचालन में समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों वाली विद्यमान किसी अन्य सोसाइटी को सभी ऐसी परिसम्पत्तियां अन्तरित करने के लिए प्रयास करेगा, असफल रहने पर, सभी ऐसी परिसम्पत्तियां जिला कलक्टर की अभिरक्षा में निहित हो जाएंगी।

(3) जहां कोई परिसम्पत्तियां जिला कलक्टर के निपटान हेतु रखी जाती हैं, तो वह या तो परिचालन में समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों वाली किसी सोसाइटी को उनका अन्तरण करेगा या उसी प्रकार के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ऐसी परिसम्पत्तियों का उपयोग करेगा।

62. (1) सोसाइटी प्रयोजन के लिए बुलाई गई सामान्य निकाय या कॉलजियम, विशेष संकल्प द्वारा जैसी भी स्थिति हो, की बैठक में विशेष संकल्प पारित करके अपने विघटन का निश्चय कर विघटन सकती है।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन विशेष संकल्प पारित करने पर, शासकीय निकाय सभी दावों, दायित्वों का निपटान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा; जैसा वह अपनी उपविधियों के अनुसार तथा यदि कोई उपविधियां नहीं हैं, तो अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपयुक्त समझे।

(3) यदि सोसाइटी के सदस्यों में कोई विवाद उत्पन्न होता है, शासकीय निकाय या विशेष समिति, जैसी भी स्थिति हो, सोसाइटी के कार्यकलापों को समाप्त करने के संबंध में ऐसे निर्देशनों के लिए जो वह उचित समझे जिला रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट करेगा :

परन्तु सोसाइटी के विघटन के लिए विशेष संकल्प विवाद के मामले के रूप में नहीं समझा जाएगा।

(4) यदि केन्द्रीय सरकार या सरकार या किन्हीं परिकरण से किसी सोसाइटी के सदस्य हैं या अंशदायी है या अन्यथा हितबद्ध है, ऐसी सोसाइटी केन्द्रीय सरकार या सरकार, जैसी भी स्थिति हो, की सहमति के बिना विघटित नहीं की जाएगी।

(5) सभी आवश्यक कदमों को पूरा करने के बाद, शासकीय निकाय, फालतू परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, के बारे में वर्णित करते हुए जिला रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगी।

(6) जिला रजिस्ट्रार तत्पश्चात् सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी सोसाइटी के कार्यकलापों में हितबद्ध किसी व्यक्ति से आक्षेप आमंत्रित करते हुए सोसाइटी के खर्च पर एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, जो किसी दशा में तीन मास से कम नहीं होगी।

(7) यदि कोई भी आक्षेप ऐसी सार्वजनिक सूचना के जारी करने की तिथि से तीन मास के भीतर सोसाइटी के किसी दावेदार, लेनदार या सदस्य से प्राप्त नहीं होता है, तथा फालतू परिसंपत्ति, यदि कोई हो, अधिनियम में यथा उपबन्धित निपटान कर दिया गया है, के बाद जिला रजिस्ट्रार आदेश के विघटन की पुष्टि करते हुए कोई आदेश करेगा तथा तत्पश्चात् सोसाइटी विघटित हो जायेगी। जिला रजिस्ट्रार उसके कार्यालय में अनुरक्षित रजिस्टर में विघटन के आदेश अभिलिखित करेगा तथा सोसाइटी रजिस्टर से सोसाइटी का नाम काटेगा।

(8) यदि कोई आक्षेप यथा उपरोक्त अवधि के भीतर किसी दावेदार या लेनदार या सदस्य या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किया गया है, तो रजिस्ट्रार, तब तक सोसाइटी के विघटन की पुष्टि करने के आदेश नहीं करेगा जब तक वह सन्तुष्ट नहीं हो जाता है कि सम्बन्धित दावे या दायित्व सम्यक् रूप से निपटान कर दिए गए हैं तथा फालतू परिसंपत्ति, यदि कोई हो, का अधिनियम में यथा उपबन्धित निपटान कर दिया गया है।

रजिस्ट्रार द्वारा  
विघटन।

63. (1) जहाँ सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है तथा धारा 57 के अधीन गुणागुण विघटन के रूप में पाया जाता है या जहाँ सरकार धारा 62 के अधीन सोसाइटी के विघटन का निश्चय करती है वहाँ महारजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित धाराओं के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सोसाइटी के विघटन के आदेश करेगी।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन सोसाइटी का विघटन महारजिस्ट्रार रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार जैसी भी स्थिति हो, अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विघटित सोसाइटी के कार्यकलापों को समाप्त करने के लिए कार्यवाई करेगा।

परिसंपत्तियों का  
निपटान।

64. (1) जहाँ किन्हीं फालतू परिसंपत्तियों को इसके दावों तथा दायित्वों का निपटान करने के बाद छोड़ दिया गया है, वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों का भुगतान या बंटवारा सोसाइटी के सदस्यों में नहीं किया जाएगा किन्तु सरकार की अभिरक्षा में ली जाएगी तथा निहित हो जाएगी :

परन्तु यदि कोई सोसाइटी हरियाणा कला समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 10) के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत की गई है किसी परिभाषित क्षेत्र के निवासियों या नागरिक सुख-सुविधाओं के लिए परिचालन, प्रबंध तथा सुख-सुविधाओं के रखरखाव के लिए सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत आवासन सोसाइटी या निवासी कल्याण संघ के हित-उत्तराधिकारी सोसाइटी की उपविधियों तथा अधिनियम के उपबन्धों में यथा अधिकथित अर्हताओं को पूरा करने के अध्याधीन मूल सदस्य के रूप में कदम उठाएगी।

(2) सरकार, जिला कलक्टर के निपटान पर ऐसी परिसंपत्तियों को रखेगी जो,—

(i) प्रथमतः समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित परिचालन में किसी अन्य सोसाइटी की पहचान करेगा तथा ऐसी सोसाइटी में ऐसी परिसंपत्तियों के अन्तरण करेगा ; या

(ii) ऐसी परिसंपत्तियों का अधिमानतः उस प्रयोजन के लिए उपयोग करेगा जिसके लिए ऐसी परिसंपत्तियाँ सृजित की गई थी, या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, जो उचित समझी जाए।

जिला रजिस्ट्रार द्वारा  
सोसाइटी के समाप्त  
होने के बाद लेखे  
बनाएगा।

65. (1) यथाशीघ्र सोसाइटी के कार्यकलाप पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए हैं, जिला रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिनी, यदि कोई हो, समाप्ति को दर्शाते हुए लेखे बनाएगा कि समाप्ति कैसे संचालित की गई है तथा सोसाइटी की सम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है तथा लेखे तथा इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण देते हुए, इसके सम्मुख रखने के प्रयोजन के लिए सामान्य निकाय की बैठक बुलाएगा। निष्कर्ष पर, सोसाइटी विघटित हो जाएगी तथा रजिस्ट्रार से उसका नाम हटा दिया जाएगा ;

(2) लेखों के अभिलेख विघटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये रखे जाएंगे ; यदि किसी ऐसी सोसाइटी के संबंध में कोई मामला किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित है, तो ऐसे अभिलेख सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निपटान तक रखे जायेंगे।

अध्याय XIV

राज्य सहायताप्राप्त सोसाइटीयों के संबंध में विशेष उपबन्ध

66. इस अध्याय के उपबन्ध राज्य सहायताप्राप्त सोसाइटी को लागू होंगे तथा अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे तथा इस अध्याय में 'सोसाइटी' शब्द के किसी संदर्भ का अर्थ राज्य सहायताप्राप्त सोसाइटी होगा।

अध्याय के अधिनियम के अन्य उपबन्धों का अर्थ वही होगा।

67. सरकार को राज्य सहायताप्राप्त सोसाइटी को ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी जो इसके कार्यकलापों के प्रबन्धन, सदस्यत्व, निर्वाचन, वित्तीय प्रबन्ध, लेखा-परीक्षा तथा जिला रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार को उनके कार्यों के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के संबंध में जो समय-समय पर समीचीन समझे जाएंगे।

सरकार को निदेशन जारी करने की शक्तियाँ।

68. (1) यदि राज्य सरकार की राय में, किसी सोसाइटी का शासकीय निकाय,—
- इसको अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने की चूक करता है या उपेक्षा करता है, या
  - ऐसे कर्तव्य करता है जो सोसाइटी, इसके सदस्यों या अधिकतर जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, या
  - सदस्यों की पात्रता से विवादों का निश्चय करने में असफल रहता हो, या
  - शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने में असफल रहता हो; या
  - अन्यथा सामान्य रूप से कृत्यों को न करता हो।

शासकीय निकाय का अधिकरण तथा प्रशासक की

यह कारण बताओ नोटिस देने के बाद, शासकीय निकाय का अधिकरण तथा प्रशासक की नियुक्ति प्रथमतः दो वर्षों की अनधिक अवधि के लिए उसकी सहायता के लिए व्यक्तियों की समिति के गठन के साथ या के बिना कर सकता है :

परन्तु अवधि प्रशासक के अनुरोध पर बढ़ाई जा सकती है तथा बनी रहती है किन्तु यह लगातार कुल पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रशासक, महारजिस्ट्रार के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्वधीन होगा तथा ऐसे निर्देशन जो उससे प्राप्त किए जाएं, सोसाइटी के शासकीय निकाय के सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करने की शक्तियाँ होंगी तथा, सोसाइटी के उचित प्रबन्धन के लिए यथा अपेक्षित कार्यवाई करेगा।

(3) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व, उपविधियों, अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए नियमों के उपबन्धों के अनुसार कॉलिजियम, यदि लागू हो, तथा शासकीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के गठन के लिए व्यवस्था के प्रयास करेगा।

(4) महारजिस्ट्रार सरकार के अनुमोदन से प्रशासक या समिति के सदस्य को भुगतानयोग्य मानदेय या पारिश्रमिक नियत कर सकता है तथा सोसाइटी की निधियों में से ऐसे व्यय को अदा करने के निदेश देगा।

विघटन।

69. (1) सरकार, कारण बताओ नोटिस देने के बाद तथा अभिलिखित कारणों से, सोसाइटी के विघटन के आदेश ऐसी तिथि से करेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) जहां शासकीय निकाय धारा 68 के अधीन अधिक्रमित हो जाता है तथा ऐसे कार्यकलाप जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रशासक द्वारा प्रबंधित किए जा रहे तथा प्रशासक सरकार को रिपोर्ट करता है कि जो कोई भी कारण हो, शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाना व्यवहार्य नहीं है, तो इसके लिए सरकार किसी आदेश द्वारा या अभिलिखित कारणों से सोसाइटी को ऐसी तिथि से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, विघटित करने के लिए सक्षम होगी।

विघटन का प्रभाव।

70. (1) यदि सरकार विघटन के आदेश करती है, सरकार विघटित सोसाइटी के दायित्व, यदि कोई हो, के निपटान के बाद, इसकी परिसम्पत्तियां तथा सम्पत्तियां, चाहे चल या अचल हो, अपने पास रख लेगी, जो समरूप या उसी प्रकार के उद्देश्यों को रखने वाली किसी अन्य सोसाइटी को अंतरित करेगी तथा जहां ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है, वहां सम्पत्ति जिला कलक्टर की अभिरक्षा में तब तक निहित रहेगी, जब तक समरूप या उसी प्रकार के उद्देश्य रखने वाली सोसाइटी नहीं बनाई जाती है, उसके बाद सम्पत्तियां ऐसी सोसाइटी को अंतरित हो जाएंगी।

(2) सोसाइटी के विघटन पर, सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द माना जाएगा तथा यह निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी।

राज्य सहायताप्राप्त सोसाइटियों को विभाजित या समामेलित करने की शक्तियां।

71. (1) जहां सरकार की राय में, सोसाइटी को विभाजित करना या दो या अधिक सोसाइटियों का समामेलन आवश्यक तथा स्वच्छंद लोकहित में है। यह आदेश द्वारा तथा इसमें नियत तिथि से, ऐसी सोसाइटियों के विभाजन या समामेलन, जैसी भी स्थिति हो, का निदेश कर सकती है।

(2) सरकार, आदेश जारी करने से पहले या तो उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन सोसाइटी को विभाजित करने या दो या अधिक सोसाइटियों का समामेलन, सोसाइटियों को विभाजित या समामेलित करने का प्रस्ताव, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित शासकीय निकाय या निकायों को संसूचित करेगी। प्रस्ताव के विरुद्ध प्रतिवेदन करने के लिए शासकीय निकाय या निकायों के लिए युक्तियुक्त समय नियत करेगी तथा निकाय या निकायों से प्राप्त प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगी।

(3) जहां किसी एक या अधिक ऐसी सोसाइटियों के संबंध में सम्यक् रूप से वयनित शासकीय निकाय नहीं है तथा ऐसी किसी सोसाइटी के कार्यकलाप प्रशासक द्वारा या किसी तदर्थ प्रबंध के माध्यम से किए जा रहे हैं तथा शासकीय निकाय के निर्वाचनों से संबंधित गतिरोध/गत्यवरोध की स्थिति है, सरकार, प्रशासक की सिफारिशों पर अभिलिखित कारणों के लिए ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकती है।



(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में संबद्ध सोसाइटियों या सोसाइटी के गठन, प्राधिकरणों सम्पत्ति, अधिकारों तथा हितों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा बाध्यताओं के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

(5) जहां कोई सोसाइटी विभाजित की गई है या जहां दो या अधिक सोसाइटियां समामेलित की गई हैं, विभाजित या समामेलित सोसाइटी या सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण, यथा स्थिति, रद्द समझा जाएगा तथा सम्बन्धित सोसाइटी या सोसाइटियां निगमित निकायों के रूप में अस्तित्वहीन हो जाएंगी। रजिस्ट्रार, उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन जहां कहीं कोई नई सोसाइटी बनाई जाती है, रजिस्ट्रीकरण का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

### अध्याय XV

#### उल्लंघनाएं, जुर्माने तथा शास्तियां

72. यदि कोई सोसाइटी अधिनियम की किन्हीं अपेक्षाओं की अनुपालना करने में असफल रहती है अथवा उसके किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करती है, तब व्यतिक्रम सोसाइटी यथा विहित जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, तथा निरन्तर व्यतिक्रम या उल्लंघना की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम या उल्लंघना जारी रहती है, जुर्माने से जो एक सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगी।

73. यदि सोसाइटी का कोई पदाधिकारी या कर्मचारी अधिनियम के अधीन किसी सोसाइटी द्वारा बनाए रखने के लिए अपेक्षित किसी रजिस्टर, लेखा, तुलन-पत्र या अन्य दस्तावेज में जानते हुए या जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि, या कोई लोप करता है या करवाता है, तो वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगा तथा सोसाइटी के ऐसे पद या सदस्यता से तुरन्त हटाया जा सकता है।

74. यदि कोई पदाधिकारी जानते हुए या जानबूझकर कोई मिथ्या विवरणी देता है या मिथ्या सूचना प्रस्तुत करता है या जानते हुए या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किसी समन, मांग, या अन्य विधिपूर्ण आदेश या निदेश की अवज्ञा करता है या अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या महारजिस्ट्रार या इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे विधिपूर्ण अपेक्षित कोई सूचना प्रस्तुत करने से रोकता है या प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, तथा निरन्तर व्यतिक्रम या उल्लंघना की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम या उल्लंघना जारी रहती है, जुर्माने से जो एक सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगा।

75. जिला रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी द्वारा लिखित में आवेदन करने पर तथा दर्शाए गए पर्याप्त कारण पर, ऐसी सोसाइटी को यथा विहित ऐसी विलम्ब फीस के भुगतान पर अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों की अनुपालना के लिए और समय अनुज्ञात कर सकता है।

परन्तु इस प्रकार अनुज्ञात बढ़ाई गई अवधि किसी ऐसी अनुपालना के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञेय समय से अधिक नहीं होगी।

## अध्याय XVI

## विधिक कार्यवाहियां

निगमित निकाय के रूप में सोसाइटी।

76. अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी उस नाम से जिसके अधीन यह रजिस्ट्रीकृत की गई है, निगमित निकाय होगी तथा इसकी सामान्य मुद्रा होगी। सोसाइटी सम्पत्ति के अर्जन, धारण करने तथा निपटान करने, संविदा में प्रवेश करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित तथा प्रतिवाद करने तथा अपने नक्ष्यों तथा उद्देश्यों के लिए जिसके लिए यह स्थापित की गई है, के प्रोत्साहन में सभी अन्य आवश्यक बातें करने के लिए उत्तरदायी होगी।

सोसाइटी द्वारा तथा के विरुद्ध वाद तथा कार्यवाहियां।

77. (1) कोई सोसाइटी प्रधान, सचिव या इस निमित्त शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी के नाम से मुकदमा चलाएगी या मुकदमा चलाया जा सकेगा तथा सोसाइटी की किसी सम्पत्ति या किसी अधिकार या दावों के विषयों में किसी कार्यवाई या अन्य विधिक कार्यवाहियों को लाएगी या का प्रतिवाद करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रधान, सचिव या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा धारित पद की किसी रिक्ति या परिवर्तन के कारण से किसी वाद या कार्यवाही का उपशमन नहीं होगा।

सदस्यों का अभियोजन।

78. किसी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य पर सोसाइटी को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए या सोसाइटी के हित के विरुद्ध उस द्वारा इसकी सम्पत्ति या की गई हानिकर किसी बात के लिए सोसाइटी द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है या अभियोजित किया जा सकता है।

अपील तथा पुनर्विलोकन।

79. (1) जिला रजिस्ट्रार द्वारा पारित किन्हीं आदेशों के विरुद्ध रजिस्ट्रार को अपील होगी तथा रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध महारजिस्ट्रार को अपील होगी। किसी ऐसी अपील में महारजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश अन्तिम होंगे तथा आगे उसके आदेशों के विरुद्ध कोई अपील सक्षम नहीं होगी।

(2) जहां कोई आदेश महारजिस्ट्रार से प्रवर्तित होता है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील सरकार के सम्मुख होगी।

(3) कोई अपील आक्षेपित आदेशों के जारी होने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर दायर की जायेगी। अपील प्राधिकारी दर्शाए गए विलम्ब माफी हेतु पर्याप्त आधारों पर इस अवधि से और दूसरी साठ दिन की अधिकतम अवधि तक अपील ग्रहण कर सकता है।

(4) प्रत्येक अपील यथा विहित फीस सहित होगी।

(5) जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या महारजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी पक्ष से इस निमित्त प्राप्त आवेदन पर कि कोई आदेश जो कुछ गलत तथ्यों या कुछ प्रत्यक्ष गलती होने से या कुछ अनवधानता से हुई भूलों से ग्रस्त आधार पर पारित किया गया है, तो ठीक उससे उच्चतर प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से इसके पारित होने के नब्बे दिन के भीतर अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है।

80. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सोसाइटी या इसके किसी पदाधिकारी का कार्य या कार्यवाहियां केवल किसी रिक्ति या सोसाइटी के संगठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। कतिपय श्रुतियों द्वारा कार्य के अविधिमान्य न होना।

81. (1) जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या महारजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा किसी सोसाइटी या उसके शासकीय निकाय को जारी कोई नोटिस, आदेश या मांग की तामील सोसाइटी के प्रधान या सचिव को की जाएगी, तथा सोसाइटी के प्रधान या सचिव को तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानों वे सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तामील किए गए हों। तामील का ढंग।

(2) सोसाइटी के प्रधान या सचिव को नोटिस, आदेश या मांग रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या किसी अन्य ढंग द्वारा, जिसकी तामील इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर खोजी जा सके तथा एक बार प्रेषित कर दी जाती है, तो यह सोसाइटी को तामील हुई समझी जायेगी।

82. (1) सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भुगतानयोग्य फीस विहित करेगी, अर्थात् :- सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए नियत की जाने वाली फीस।

- (i) नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन ;
- (ii) सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ;
- (iii) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित किसी दस्तावेज को दायर करने या अभिलिखित करने या रजिस्ट्रीकृत करने ,
- (iv) रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में दस्तावेजों का निरीक्षण ,
- (v) रजिस्ट्रीकरण से पूर्व या बाद में किन्हीं प्रविष्टियों को करना या दस्तावेजों की प्रतियां देना ;
- (vi) अपील दायर करना , तथा
- (vii) ऐसे अन्य मामले जो सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रतीत हों जिसमें विलम्ब फीस भी शामिल है।

(2) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भुगतान योग्य सभी फीस तथा शास्तियां, यदि भुगतान न की गई हों, तो भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली- योग्य होंगी। इस प्रकार संगृहित की गई राशि राज्य की संचित निधि में जमा होंगी।

83. (1) अधिनियम के अधीन जिला रजिस्ट्रार को किसी सोसाइटी द्वारा दायर सभी दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में समझे जाएंगे तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के अधीन किसी नागरिक द्वारा उनका परागमन किया जा सकता है। उस सीमा तक, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सोसाइटी उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक कार्यालय के रूप में समझी जाएगी तथा उस प्रयोजन के लिए सोसाइटी द्वारा विहित फीस, यदि कोई हो, के विरुद्ध अपेक्षित सूचना देने के लिए दायी होंगी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों पर लागूकरण।

(2) उपरोक्त के होते हुए भी, किसी सोसाइटी की सभी अन्य कार्यवाहियों तथा कार्यचालन की आन्तरिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सूचना इसकी अन्यत्र अधिकारिता के भीतर है तथा ऐसी सोसाइटी के सदस्यों तथा जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार के कार्यालयों की पहुँच में है।

ई-शासन तथा  
ऑनलाईन संव्यवहार

**84.** सरकार, यथा सम्भव शीघ्रता से, अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी तथा दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए ई-शासन आरम्भ करेगी, तथा अधिनियम के अधीन ऐसे किसी समाधान संव्यवहारों के सभी या भागतः, प्रारूपों, भुगतानों तथा अन्य सेवाओं के लागूकरण को इलैक्ट्रॉनिक/ऑनलाईन ढंग में प्रशासित कर सकती है।

छूट।

**85.** सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तथा विशेष परिस्थितियों तथा विस्तृत लोकहित के दृष्टिगत अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों से किसी सोसाइटी या सोसाइटी के वर्ग को छूट दे सकती है :

परन्तु छूट केवल एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी तथा जो दूसरे वर्ष तक केवल कारणों को अभिलिखित करते हुए बढ़ाई जा सकती है :

परन्तु यह और कि छूट केवल किसी विशिष्ट उपबन्ध के लिए प्रदान की जा सकती है तथा सम्पूर्ण अधिनियम से तथा उपबन्ध जिस पर छूट प्रदान की गई है, को छोड़कर सभी अन्य उपबन्धों पर लागू नहीं होगी।

निदेश जारी करने  
की शक्ति।

**86.** सरकार अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उचित लागूकरण के लिए किसी सोसाइटी को, यथा आवश्यक, ऐसे निदेश जारी करने के लिए सक्षम होगी।

नियम बनाने की  
शक्ति।

**87.** (1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम,—

- (i) उपविधियां प्रारूप ;
- (ii) उपविधियां बनाने, संशोधित करने तथा निराकरण में अपनाई जाने वाली शर्तें तथा प्रक्रिया ;
- (iii) सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित प्रारूप तथा दस्तावेज;
- (iv) बनाये जाने के लिए अपेक्षित प्रारूप तथा दस्तावेज ;
- (v) फीस सहित दायर की जाने वाली वार्षिक तथा अन्य विवरणियां ,
- (vi) लेखे, विवरणियां तथा रजिस्ट्रारों के विभिन्न प्रारूपों की रीति तथा सत्यापन ;

- (vii) प्रशासक, प्रशासक की सहायता के लिए समिति के सदस्यों, रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, तथा जांच करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों की अर्हताएं ;
- (viii) किसी सोसाइटी के विघटन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,
- (ix) रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये दस्तावेजों का निरीक्षण तथा उनकी प्रतियां देना ;
- (x) रजिस्ट्रार कार्यालय में पुस्तकों, पेपरों तथा दस्तावेजों की अभिरक्षा तथा ऐसी पुस्तकों, पेपरों तथा दस्तावेजों को नष्ट करना ;
- (xi) अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए कोई अन्य मामला,

के लिए उपबन्ध कर सकते हैं ;

88. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

89. (1) किसी भी सिविल न्यायालय को अधिनियम के अधीन किसी वाद, निपटान करने, विनिश्चय करने या अन्य मामले में कार्रवाई करने को ग्रहण करने या कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी जो अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा निश्चित, विनिश्चित या कार्रवाई करना अपेक्षित है।

(2) अधिनियम के अधीन या के अनुसारण में सरकार, महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार द्वारा किया गया कोई आदेश किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

90. कोई सोसाइटी इसके प्रबन्धन या परिचालन के दैनिक कार्यसंचालन के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियोजित कर सकती है :

परन्तु सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी के नियोजन में नहीं होगा।

91. यदि अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से प्रथम तीन वर्षों में अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा अधिनियम के उपबन्धों से असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है जो ऐसी कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं।

92. (1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, हरियाणा राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता में इसके लागूकरण को, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम (जिसमें कोई आदेश, नियम, विनियम, अनुदेशों, प्रमाणपत्र या उपविधियां भी शामिल हैं) निरसित अधिनियम द्वारा या के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई अधिनियम के तत्सम उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

(3) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, के अधीन हरियाणा राज्य में किसी स्थान पर रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जायेगी तथा इसका प्रधान कार्यालय रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के रूप में समझा जायेगा:

परन्तु—

- (i) किसी ऐसी सोसाइटी की उपविधियां तथा ज्ञापन अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों से उस सीमा तक प्रतिकूल या असंगत है, अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि जो सरकार अनुज्ञात करे, अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप लाया जाएगा तथा उसके बाद ऐसी प्रतिकूलता या असंगतता की सीमा तक शून्य समझा जाएगा तथा कोई प्रभाव नहीं होगा ;
- (ii) अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व निर्वाचित या नियुक्त तथा पद धारण करने वाला कोई अधिकारी अपनी पदावधि की समाप्ति तक या ऐसे पद की विधिवत् समाप्ति तक निरन्तर ऐसा पद धारण करेगा।

(4) अधिनियम के अधीन कोई भी दाल निरसित अधिनियम के अधीन किसी अधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यता, दायित्व या दण्ड को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु अधिनियम के लागू होने से पूर्व शासकीय निकाय के विघटन, या अधिक्रमण या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारम्भ की गई कार्यवाहियों सहित कोई अन्वेषण या कार्यवाहियां इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार सतत तथा संचालित रहेगी।

## उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्तमान में सोसाइटियों से सम्बन्धी विधि एवं उनका रजिस्ट्रीकरण, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, (1860 का केन्द्रिय अधिनियम 21) जोकि हरियाणा राज्य में लागू है, द्वारा शासित है। सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860, बहुत पुराना 19वीं सदी का विधान है जोकि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अपर्याप्त है। अतः सोसाइटियों के पंजीकरण व विनियमन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये एक व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

वर्तमान विधान में अपर्याप्त प्रावधान व सोसाइटियों के सुविनियमन स्वरूप न होने की वजह से विभिन्न प्रकार के विवाद अदालत में दायर किये गये हैं, इनमें सोसाइटियों की सदस्यता व चुनाव सम्बन्धी विवाद प्रमुख है। यह देखने में आया है कि कुछ सोसाइटियों की सदस्यता बहुत अधिक है जिसकी वजह से फर्जी सदस्यता सम्बन्धी वाद व प्रतिवाद पैदा होते हैं व जिनसे अन्ततः चुनाव सम्बन्धी विवाद उभर कर सामने आते हैं। सदस्यों की विशालता एवं उनके फैलाव से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है और उन सोसाइटियों के पणधारक समाज के सभी वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं। अतः सोसाइटियों के कुशल विनियमन हेतु एक प्रभावी अधिनियम बनाना तथा प्रावधानों का सरलीकरण करना अनिवार्य हो गया है ताकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता का निदान किया जा सके। इस विधेयक में सदस्यता व चुनावों से सम्बन्धी विवादों, जिनके निराकरण में अदालतों में बहुत लम्बा समय लगता है, को शीघ्रता से निपटाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5 के अनुसार सोसाइटी की सम्पत्ति उसकी शासकीय सभा में निहित करती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी की सम्पत्ति का किसी प्रकार के निजी लाभ के लिये दुरुपयोग ना कर सके, इस विधेयक में यह प्रावधान प्रस्तावित है कि यह सम्पत्ति सोसाइटी में ही निहित होगी। आवासीय सोसाइटियों को छोड़कर, इस अधिनियम में किसी सदस्य अथवा उसके आश्रित को रोजगार देने व किसी भी प्रकार के लाभ को सोसाइटी के सदस्यों में आबंटन पर प्रतिबन्ध प्रस्तावित है। अत्यधिक सदस्यों वाली सोसाइटियों, जिससे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी कठिन हो जाती है, का समाधान करने के लिये इस अधिनियम में इलैक्टोरल कोलेजिय तथा

एक मध्यवर्ति निकाय के रूप में कोलिजियम का गठन करना प्रस्तावित है। यह विधेयक हरियाणा राज्य में प्रस्तावित अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटियों के कार्य-कलापों के निर्बाध प्रशासन तथा प्रबन्धन के लिये स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्यों के साथ प्रस्तावित है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,  
उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री, हरियाणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :  
28 फरवरी, 2012

सुमित कुमार,  
सचिव :



## वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 राज्य की विभिन्न सोसाइटियों की विस्तृत गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुए सोसाइटियों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। यह अधिनियम मौजूदा विधान की अपर्याप्ता तथा आवश्यकतानुसार स्पष्टता लाने, सासाइटियों के प्रभावशाली प्रशासन एवं विनियमन में कारगर साबित होगा। प्रस्तावित विधेयक के तहत विभिन्न प्रकार की फीस की दरों का संशोधन तथा शुल्क लगाने के लिये नियम बनाये जाने प्रस्तावित हैं। परन्तु अभी यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इसके फलस्वरूप राज्य कोष में कितने राजस्व की वृद्धि होगी, क्योंकि यह आने वाले समय में कसों की संख्या पर निर्भर करेगा।

### प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

हरियाणा सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 की धारा 87 के अन्तर्गत कार्यकारिणी अर्थात् राज्य सरकार को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति के सामान्य उपबन्ध की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त विधेयक का यह प्रावधान उपलब्ध प्रत्यायोजन की सामान्य परिधि की उल्लंघना नहीं करता है। इसलिए ज्ञापन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नियम बनाने के उपबन्ध मात्र अधिनियम के प्रयोजन को कार्यन्वित करने के लिए उपबन्धित किये गये हैं।